पंचम माला, खंड 65, अंक 11, शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1976/ 14 कार्तिक, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXV, No. 11, Friday, November 5, 1976/ Kartika 14, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No...2.....

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[अठारहवां सत्र / Eighteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं / Vol.LXV.Contains. Nos, 1 to 11.]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

संख्या 11, शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1976/14 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 11, Friday, November 5, 1976/Kartika 14, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1-12
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति	Leave of Absence from the sittings of the House	12
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
232 वां प्रतिवेदन— प्रस्तुत	232nd Report—Presented. . . .	12
लोक सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन विधेयक—	House of the People (Extension of Duration) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	13—14
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve	14—15
श्री जांबुवंत धोटे	Shri Jambuwant Dhote	15
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . .	15
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	16
श्री शंकरराव सावंत	Shri Shankerrao Savant . . .	16—17
श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim	17
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	17
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	18
डा० कैलास	Dr. Kailas	18
श्री डी०बसुमातारी	Shri D. Basumatari	18
श्री पी० गंगादेव	Shri P. Gangadeb	18—19
डा० रुद्र प्रताप सिंह	Dr. Rudra Pratap Singh . . .	19
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	19—20
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	20—21
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री च० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	21

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
याचिका का प्रस्तुत किया जाना	Presentation of Petition . . .	21
देश में बा और सूखे की स्थिति के बा में चर्चा—	Discussion Re. Flood and Drought situation in the country—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	22
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . . .	22-23
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh . . .	23
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi . .	24
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	24
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	24-25
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao:	25-26
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Choudhary . .	26-27
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	27
श्री पी० वेंकटसुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah . . .	27-28
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra . . .	28-29
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C. H. Mohmed Koya . . .	29
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	29
श्री पी० गंगा रेड्डी	Shr P. Ganga Reddy:	30
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar . .	30
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishnappa . . .	30
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana . . .	30-31
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakappa . . .	31
श्री एस० एन० सिंह देव	Shri S. N. Singh Deo	31-32
श्री एस० ए० मुरुगनंन्तम	Shri S. A. Muruganantham . . .	32-33
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . . .	33
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	33
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	34
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	34
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwari	34
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	35
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli . .	35
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya . . .	35
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	35-36

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री राम सहाय पाडे	Shri R.S. Pandey	36
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	36-37
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	37
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao . . .	37
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma . . .	37
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa	38
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	38-39
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	39
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi . . .	39-40
श्री जगदीश नारायण मन्डल	Shri Jagdish Narain Mandal . .	40
श्री यमुना प्रसाद मन्डल	Shri Yamuna Prasad Mandal . .	40
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi . . .	41
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha	41
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy . .	41
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav	41
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra . .	41-42
श्री आर० पी यादव	Shri R. P. Yadav	42
श्री पी० गंगादेव	Shri P. Gangadeb	42
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan. . . .	42-44

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)
उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री दी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री श्रा (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री डी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (जैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोज़फ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीप

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तेयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास; श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास; श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास; श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित; श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित• श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे; श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० पेरम्बूलूर)
देव; श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढवाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगरहवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु, (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवराहन, श्री जी० (मैट्टूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गाजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साभिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरु)
सैकिया, श्री इराजमुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसात)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० मांझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1976/14 कार्तिक, 1898 (शक)

Friday, November 5, 1976/Kartika 14/1898 (Saka)

[लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई]
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं श्री टी० ए० पाई की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) जेसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—11507/76]

अधिसूचनाएं तथा बम्बई मोटर, स्प्रिट बिक्री कराधान (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1976

राजस्व और बैंककारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) । मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित

तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1445 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जनवरी, 1976 को तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 1974 की अधिसूचना संख्या II(I)/रीव/1023/74 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्यूक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—11508/76]

(2) (एक) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1109 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्यूक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—11504/76]

(3) (एक) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 42 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) जी० ओ० एम० 1245 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ख) जी० ओ० एम० 1459 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1973 की अधिसूचना संख्या 1783 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ग) जी० ओ० एम० 208 जो दिनांक 10 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्यूक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—11510/76]

(4) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) जी० ओ० पी० संख्या 1386 जो दिनांक 21 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(ख) जी० ओ० पी० संख्या 1388 जो दिनांक 11 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग) जी० ओ० पी० संख्या 531 जो दिनांक 12 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये है।

(घ) जी० ओ० पी० संख्या 1148 जो दिनांक 17 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) उपर्युक्त (क) से (ग) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—11511/76]

(5) (एक) तमिलनाडु राज्य के संबंध में दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 59 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) जी० ओ० पी० संख्या 816 जो दिनांक 1 जुलाई, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ख) जी० ओ० पी० संख्या 1078 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ग) जी० ओ० पी० संख्या 1462 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—11512/76]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) निर्यात वहन-पत्र (वायुयान) विनियम, 1976 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1548 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्यात वहन-पत्र (जलपोत) विनियम, 1976, जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1549 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयात वहन-पत्र (वायुयान) विनियम, 1976, जो दिनांक 30 अक्तूबर 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1550 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) निर्यात प्रतिवेदन (प्रपत्र) विनियम, 1976 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1551 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आयात प्रतिवेदन (प्रपत्र) विनियम, 1976 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1552 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) तटीय माल बिल (प्रपत्र) विनियम, 1976, जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1553 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) तट परिवहन बिल तथा निर्यात बिल (प्रपत्र) विनियम, 1976 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1554 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) नाव-पत्र विनियमन, 1976 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1555 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सा० सां० नि० 860 (ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 830 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-11513/76]

(7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 855(ङ) जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सा० सां० नि० 858(ङ) जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-11514/67]

(8) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय-कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (जीएचएन-76) जी एस० टी०—1076/(एस० 49) (52) -टीएच जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जीएचएन 627) जीएसटी 1076 (एस० 49)-टीएच में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) (जीएचएन 83) जीएसटी 1076/ (एस० 49) (53) टीएच जो दिनांक 20 अक्तूबर, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जीएचएन 627) जीएसटी-1070 (एस० 49) टीएच में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-11515/76]

(9) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई, मोटर स्प्रिट बिक्री कराधान अधिनियम, 1958 की धारा 36 के अन्तर्गत बम्बई मोटर स्प्रिट बिक्री कराधान (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या (जीएचएन 77) एमएसए 1076/(26) टीएच में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०-11516/76]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (दूसरा संशोधन विधेयक) नियम, 1976

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 23 अक्तुबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1499 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी--11517/76]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :--

(एक) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1976 जो दिनांक 16 सितम्बर 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 614 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कागज (उत्पादन का नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 650 (ड़) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 11518/76]

रेल रेड टैरिफ (8वां संशोधन) नियम, 1976

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरशी) : मैं भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत रेल रेड टैरिफ (आठवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 1486 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी- 11519/76]

नारियल जटा बोर्ड एरणाकुल्लम के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब सम्बन्धी विवरण]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं नारियल जटा बोर्ड एरणाकुल्लम के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी संस्करण)* सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11520/76]

*दस्तावेज तथा विवरण का अंग्रेजी संस्करण 3 नवम्बर, 1976 को सभा पटल पर रखे गये थे।

अधिसूचना का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : दिनांक 6 अक्तूबर 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 832 (ङ) और दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 844 (ङ) तथा 845 (ङ) जो 30 अक्तूबर, 1976 को सभा पटल पर रखी गई थी का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11521/76]

नाविक भविष्य निधि स्कीम 1966 के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं श्री एच० एन० त्रिवेदी की ओर से नाविक भविष्य निधि स्कीम 1966 के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11522/76]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेद व्रत बरुआ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1519 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 23 अक्तूबर 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 5 के भाग 2 में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी– 11523/76]

पार पत्र (तीसरा संशोधन) विधेयक, 1976

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 831 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल टी० –11524/76]

प्रश्न का उत्तर शुद्ध करने वाला विवरण, अधिसूचना वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) कोरापट, उड़ीसा में वन रोपण के बारे में श्री आनन्दी चरण दास के अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के 12 अप्रैल, 1976 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला

तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-11525/76]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 814 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी-11526/76]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:--

(एक) आसाम कृषि,-उद्योग विकास के निगम लिमिटेड, गोहाटी के वर्ष 1967–71 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आसाम कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी का 27 जनवरी, 1967 से 31 मार्च, 1968 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) आसाम कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षण की टिप्पणियां।

(चार) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी का वर्ष 1969–70 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(पांच) आसाम कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी का वर्ष, 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त मद (3) में (दो), (तीन) (चार), और (पांच) में उल्लिखित प्रतिवेदनों का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी० 11527/76]

विदेशी मुद्रा विनियमन (दस्तावेजों का प्रमाणीकरण , नियम. 1976 तथा विवरण

राजस्व और बैंककारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन (दस्तावेजों का प्रमाणीकरण) नियम, 1976

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1303 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-- 11528/76] ।

(2) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 12 मार्च, 1976 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात राज्य प्रतिभूति अधिनियम, 1963 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:--

(एक) गुजरात सरकार द्वारा 10 फरवरी, 1976 से 16 अक्तूबर, 1976 की अवधि के दौरान दी गई प्रतिभूतियों का विवरण ।

(दो) गुजरात सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूति के अनुसरण में 1975-76 के दौरान राज्य की संचित निधि में से जारी की गई राशियों अथवा इस प्रकार जारी की गई राशियों के भुगतान अथवा पुनर्भुगतान के लिए अदा की गई राशियों के लेखों का विवरण ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित विवरणों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये [देखिए संख्या एल० टी० 11529/76]

अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) गुजरात राज्य के संबंध मे राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम; 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) बम्बई मोटरयान (गुजरात चौथा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1976 को अधिसूचना संख्या जी/जी/76/123/एमवीआर-बी--1075--3641-ई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बम्बई मोटरयान (गुजरात पांचवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1976 को अधिसूचना संख्या जी/जी/76/138/एमवीआर--1076--325--ई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बम्बई मोटरयान (गुजरात छठा संशोधन) नियम; 1976 जो दिनांक 6 मई, 1976 को अधिसूचना संख्या जी/जी/76/156/एमवीए--2175-6549---ई में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बम्बई मोटरयान (गुजरात सातवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 15 मई, 1976 को अधिसूचना संख्या जी/जी/76/165/एमवीआर-1476—3652-ई में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बम्बई मोटरयान (गुजरात आठवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 28 मई, 1976 को अधिसूचना संख्या जी/जी/76/182/एमवीआर-1075—3898-ई में प्रकाशित हुए थे।

(छः) बम्बई मोटरयान (गुजरात नौवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 11 जून, 1976 को अधिसूचना संख्या जी/जी/76/199/एमवीआर-1075-2885-ई में प्रकाशित हुए थे।

(सात) बम्बई मोटरयान (गुजरात दसवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 18 जून, 1976 को अधिसूचना संख्या जी/जी/76/203/एमवीए-2376-जीओआई-49-ई में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) बम्बई मोटरयान (गुजरात ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 19 जून, 1976 को अधिसूचना संख्या जी/जी/76/204/एमवीआर-1076—जीओआई—38-ई में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय मे रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 11530/76]

(3) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु मोटरयान करारोपण अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 1794 जो दिनांक 11 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० ओ० एम० 1813 जो दिनांक 11 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० ओ० एम० 2051 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० एन० 2276 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० ओ० एम० 2383 जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(4) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कार बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी०-11531/76]

(5) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) जी० ओ० एम० 2058 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) जी० ओ० एम० 2283 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटरयान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी०--11532/76]

(6) नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित नागालैंड मोटरयान कराधान अधिनियम, 1967 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) नागालैंड मोटरयान (पहला संशोधन) कराधान नियम, 1976 जो दिनांक 13 अगस्त, 1976 के नागालैंड राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीपीटी/एमवी 28/75 मे प्रकाशित हुए थे।

(दो) नागालैंड मोटरयान कराधान नियम, 1972 (नागालैंड दूसरा संशोधन नियम, 1976) जो दिनांक 13 अगस्त, 1976 के नागालैंड राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीपीटी/एमवी-59/75 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) मोटरयान कराधान नियम, 1972 (नागालैंड तीसरा संशोधन नियम, 1976) जो दिनांक 14 अगस्त, 1976 के नागालैंड राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीपीटी/एमवी/44/70(पीटी) (1) मे प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी०-11533/76]

टैक्सटाइल समिति (उपकर) संशोधन नियम, 1976

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) मैं टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत टैक्सटाइल समिति (उपकर)

संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1407 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी०--11534/76]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व और बैंकारी विभाग के भारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 867(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी०-11536/76]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों के उनके सामने दिखाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने की सिफ़ारिश की है :-

(1) श्री श्यामनन्दन मिश्र . . . 23 से 27 मई, 1976 (सोलहवां सत्र) और 10 अगस्त से 2 सितम्बर, 1976 (सत्रहवां सत्र)

(2) श्रीमती शकुन्तला नायर . . 21 से 27 मई, 1976 (सोलहवां सत्र) और 10 अगस्त से 2 सितम्बर, 1976 (सत्रहवां सत्र)

क्या सभा की राय है कि अनुपस्थिति की अनुमति, जैसा कि समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई है, प्रदान की जाये ?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

232 वाँ प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) के पैराग्राफ 5, 10, 16, 17, 18 और 21 पर लोक लेखा समिति का 232 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन विधेयक -- जारी

HOUSE OF THE PEOPLE (EXTENSION OF DURATION) AMENDMENT BILL——*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्तमान लोक सभा की कालावधि विस्तारण सम्बन्धी विधेयक पर आगे विचार आरम्भ करती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । संविधान (संशोधन) विधयक के तुरन्त बाद लोक सभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिये और बढ़ाने वाला यह विधेयक लाया गया है और इसके लिये जो कारण मंत्री महोदय ने दिये है उनसे लगता है कि सभी कुछ उलटा हो गया है । इससे वर्तमान पद्धति में लोगों का विश्वास सर्वथा समाप्त हो जायेगा । कलकत्ता में आम जनता में यह भावना फैल चुकी है कि अब और चुनाव नहीं होंगे । यह बडे दुर्भाग्य की बात है । इस प्रकार की खबरों से लोगों की भावनायें उद्वेलित होती हैं । लोग ऐसा महसूस करते है कि शनैः शनैः चुनाव कराने की प्रथा को ही समाप्त किया जा रहा है । चुनाव कराना तो लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह संसदीय लोकतंत्र की आधार शिला है ।

विधि मंत्री द्वारा दिये गये तर्कों को स्वीकार करना कठिन है । कभी-कभी सरकार कहती है कि आपात स्थिति के दौरान स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है । परन्तु जब वे इस विधेयक का औचित्य सिद्ध करते हैं तो उन्होंने एक दूसरी ही तस्वीर पेश की है और कहा है कि वे शक्तियां जो देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयत्न कर रही थीं अभी भी सक्रिय हैं और शक्तिसम्पन्न हैं, इसलिये यदि हम चुनाव करेंगे तो इन्हें फिर अवसर मिल जायेगा । मेरी समझ में ये दोनों विरोधी बातें नहीं आती ।

सरकार इस बात पर जोर देने का प्रयत्न कर रही है कि लोक सभा का कार्यकाल एक वर्ष बढाने और चुनावों को टालने से इन शक्तियों को अच्छी प्रकार नियंत्रित किया जा सकेगा । परन्तु कैसे ? बल्कि इस प्रकार चुनाव टालने से इन लोगों को जनता में पाकर उनके कान भरने का और अवसर मिल पायेगा ।

यह बात समझ लेनी चाहिये कि ये दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी आधारहीन नहीं है । उनकी जड़ें समाज और देश की आर्थिक व्यवस्था में हैं । यदि सरकार विदेशों से सम्बद्ध इन लोगों को दबाना चाहती है तो उसे इनकी जड़ें समाज से उखाड़ फैकनी होंगी । यदि उनका आर्थिक और सामाजिक आधार बना रहता है तो हम भले ही उन्हें कुछ समय के लिये राजनीतिक रूप में पीट दें पर वे फिर अपना सिर उठायेंगे ।

आपात स्थिति के दौरान तस्करों और करापवंचकों के विरुद्ध सरकार का कार्यवाही करना अच्छी बात है । परन्तु इन प्रतिक्रियावादियों की जड़ों पर वार नहीं किया गया है । एकाधिकार से लोहा लिये बिना प्रतिक्रियावादी तत्वों से कैसे निपटा जा सकता है ? हमें खेद है कि आपात-स्थिति में एकाधिकारी वर्ग के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई । क्या सरकार यह सोचती है कि कुछ लोगों के जेल में डालने और कुछ संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने से प्रतिक्रियावादी समाप्त हो गये ? जब तक इन लोगों की समाज में बैठी जड़ों और इनकी अर्थ व्यवस्था पर चोट नहीं की जायेगी तब तक वे कभी भी उन्हें दबा नहीं सकेंगे । अनुभव यह बताता है कि सरकार उस दिशा में प्रयत्न नहीं

कर रही है और अब चुनाव आने पर वे कहते हैं कि यदि चुनाव कराते हैं तो ये शक्तियां सक्रिय हो जायेंगी और इस अवसर का उपयोग करेंगी। यह बड़ी ही आश्चर्य की बात है।

हमारा विचार है कि इस विधेयक के द्वारा चुनावों को एक वर्ष और टालने से उन लोगों को जनता में प्रचार करने का मौका मिल जायेगा जो संविधान सभा बनाना और एक भिन्न प्रकार की राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार चाहते हैं,जिसके हम सर्वथा विरुद्ध है। हम नहीं चाहते कि इस एक वर्ष का लाभ वे इस विचारधारा का प्रचार करने के लिये करे। यदि कांग्रेस और परिवर्तन करना चाहती है तो और यह संसद् इसके सर्वथा योग्य है।

मैं विधि मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस बार एक वर्ष के लिये चुनावों को टालने के बाद भविष्य में बार-बार चुनाव न टाले जायें जिससे कि जब तीन या चार वर्ष बाद चुनाव हों तो लोगों में चुनाव की इस प्रक्रिया के प्रति अरुचि हो जायें। इस विधेयक के समर्थन में दिये गये सरकार के तर्क सर्वथा अनुपयुक्त है। उनमें विश्वास की भावना नहीं मिलती बल्कि उनसे लोगों में हमारे अविश्वास की भावना का ही पता चलता है। इसलिये हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। हमारा विचार है कि राजनीतिक रूप में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

यदि कांग्रेस चुनाव नहीं कराना चाहती तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। यह कहना एक बहुत बड़ी बात है कि सत्ताधारी दल अपनी विजय के सम्बन्ध में निश्चिन्त है तथा लोगों की सेवा के लिये सर्वस्व बलिदान करने को तैयार है। वास्तव में प्रत्येक राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल के नेता उस समय चुनाव कराते है जिस समय उनके जीतने के सबसे अधिक अवसर हों। इस तरह लोग चुनाव का समय निश्चित करते है। एक ओर आप कहत है कि चुनाव कराने का अभी समय नहीं है। दूसरी ओर आप कहते हैं कि हम अपने लिये विजय नही चाहते ; हम लोगों की मदद करना चाहते है। आप का यह भी कहना है कि विघटनकारी शक्तियां चुनाव का लाभ उठायेगी मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे इसका लाभ उठायेगी? इससे आप में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। मैं यह नही कहता कि आप चुनाव से डरते हैं; परन्तु आप में आत्मविशस की कमी है। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि हमारे विचार में यह राजनीतिक रूप से गलत है।

मंत्री महोदय और सरकार इस मामले पर पुन: विचार करें और यदि विधेयक को वापस लेने में अब देर हो गई है तो वे कम से कम यह धोषणा सदन में करें कि कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने के कारण यह आवश्तक नहीं कि चुनाव एक वर्ष के बाद ही होंगे। वे पहले भी हो सकते है। चुनाव फरवरी 77 में न कराये जायें। बढ़े हुए एक वर्ष के समय के समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं है।

कुछ दिन पूर्व श्री स्टीफन ने कहा था कि हम केरल में चुनाव स्थगित किये जाने के पक्ष में हैं। यह सच नहीं है। वहां पर सभी दल चुनाव कराने के पक्ष में थे। चुनाव न कराये जाने का निर्णय दिल्ली में लिया गया न कि त्रिवेन्द्रम में। हमारा दल चुनाव कराने के पक्ष में था।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : संसद् का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने वाले इस विधेयक का साम्यवादी दल द्वारा विरोध किया जाना समझ में आता है। यह एक ऐसा विधेयक है जो राजनीतिक आवश्यकताओं; अथवा राजनीतिक नारों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत ही गम्भीर मामले समहित हैं तथा जनता के प्रति सरकार की बड़ी जिम्मेदारियां हैं।

साम्यवादी मार्क्सवादी दल तथा जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग आदि उनके सहयोगियों की निन्दा करते हुए साम्यवादी नेता उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने भी वे ही बातें कही हैं जिनको वे गालियां और गलत व्यानियों की संज्ञा देते आये हैं। साम्यवादी दल को यह जान लेना चाहिये कि ऐसा करके वे स्वयं को बड़ी ही खतरनाक स्थिति में डाल रहे हैं।

साम्यवादी दल के नेता ने चुनावों के प्रति जनता की अरुचि का जिक्र किया तथा यह कहा कि उसे दूर करने के लिये हमें चुनाव कराने चाहियें। परन्तु यह उचित समाधाण नहीं है। यदि चुनाव कराना गत वर्ष उचित नहीं था, जिसका कि साम्यवादी दल ने भी समर्थन किया था तो अब वे कैसे कह सकते हैं कि परिस्थिति बदल गई है और चुनाव कराने के लिये यह अवसर उचित है।

हमारे विचार में चुनावों के लिये यह समय उचित नहीं है। यदि चुनाव होते हैं और यदि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं तो आपातस्थिति को हटाना होगा। क्या हम इस स्थिति में हैं कि जनता की भलाई को भुलाकर आपातस्थिति को हटा दें? इसका उत्तर केवल नहीं में है। यदि आपातस्थिति उठा ली जाती है तो ये ताकतें फिर उठ खड़ी होंगी और लोगों को गुमराह करेगी और भगवान जानता है कि फिर क्या होगा। हम पर यह आरोप लगाया गया है कि हम एकाधिकारियों और पूंजीवादियों के पिट्ठू हैं और पूंजीवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यदि आपात स्थिति को हटाने का समय नहीं आया है तो श्री गोखले ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा उचित और सही है। हमारे सामने एक ही उद्देश्य है और उस उद्देश्य को देखते हुए इस विधेयक को हमें अवश्य ही पास करना चाहिये।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur) : If emergency is utilised for taking some concrete steps for the upliftment and betterment of the poor and downtrodden people then such emergency is welcome. But the question is whether these people are really being benefited? What I see is that the real beneficiaries of emergency are the industrialists, capitalists and the vested interests of the country. Gradually these forces are coming up and exploiting the situation. Under these circumstances if elections are postponed for a year or two it will not make much difference. Parliamentary democracy is the creation of capitalism. That is why the capitalist class always talks in favour of Parliamentary democracy.

It is said that elections provide an opportunity for discussion on political questions. But what actually happens is that communal feelings are exploited which vitiate the entire atmosphere of elections. Moreover, the capitalists open their money bags and it is their money power which dominates the elections. Also there is much loss of time and energy.

I have seen in my area that people have lost all interest in elections. In such a situation what is the use of holding elections.

Now, the question is asked whether continuance of emergency in the country is necessary or not?

Sir, we must keep emergency if it helps in the upliftment of the downtrodden and the worker. If we are able to crush the vested interests with the help of emergency, we must do it. I shall submit that the Constitution 45th Amendment Bill should be brought forward to remove the right to property.

Sir, we want welfare of the poor during the emergency period. That is why I support the extension of the duration of Lok Sabha by another year.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : I congratulate the hon'ble Minister for this Bill, we have achieved certain immediate gains of emergency. Our administration has been streamlined and many economic achievements have boosted the prestige of the country.

I fully support the postponement of elections. As soon as the subversive elements came to know that the elections are in the offing, they increased the prices of commodities. So the time is not yet ripe for holding elections.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इससे जनता में अविश्वास प्रकट होता है और लगता है कि सरकार तथा कांग्रेस दल जनता का अपमान कर रहे हैं। यह विधेयक डर और स्वार्थ की भावना से पेश किया गया है । सुरक्षा की बात करने का यह एक अजीब तरीका है ।

श्री गोखले कहते हैं कि लोक सभा की कालावधि 6 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस तर्क में क्या औचित्य है जब वर्तमान विधेयक लाया जा रहा है । यदि लोक सभा की अवधि 6 वर्ष से अधिक बढ़ाई जाती है तो जनता की विश्वसनीयता में तो कमी आती है, जनादेश भी कमजोर पड़ता है।

मैं इस विधेयक का विरोध इसलिए भी करता हूं क्योंकि विधि मंत्री द्वारा संसद में इस आशय का वक्तव्य दिये जाने से एक दिन पहले ही किसी व्यक्ति ने बम्बई में वही बात कह दी थी । यदि संसद सर्वोच्च है तो उसके सत्र के चलते हुए सरकार संसद के बाहर ही निर्णय कैसे ले लेती है और उसके ठीक 24 घंटे के बाद विधि मंत्री बाहर दिये गये वक्तव्यों को दोहराते हैं। यह बात संसदीय लोकतंत्र की भावना और परम्परा के विपरीत हैं।

लोक सभा की कालावधि बढ़ाने की प्रवृत्ति न्यायोचित नहीं है । यह खतरनाक और दुर्भाग्य-पूर्ण है । श्री गोखले बताएं कि क्या लोक सभा की कालावधि बढ़ाने की यह बात उनके संशोधित संविधान की स्थायी विशेषता बनने जा रही है । लोक सभा की कालावधि के विस्तारण से उस चुनाव का जनादेश कमजोर पड़ जाता है, जिस चुनाव द्वारा हम निर्वाचित हुए हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनावों से जनता को राजनीति समझने तथा उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है । यदि इसमें जनता भाग न ले तो फिर देश में लोकतांत्रिक शक्तियों में कैसे वृद्धि होगी तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कैसे फले-फूलेंगी ।

सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे जनता का लोकतंत्र में विश्वास कम होता जा रहा है । इससे तो लोगों में निराशा तथा हिंसा की भावना को निमंत्रण दिया जा रहा है । यह सब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रतिकूल है ।

इस कालावधि के विस्तारण से सरकार जनता की शक्तियां कम कर रही है। न्यायालय की शक्तियां तो पहले ही कम की जा चुकी हैं। जनता का विश्वास खोने का परिणाम हम सब को भुगतना पड़ सकता है ।

श्री शंकरराव सावंत (कोलावा) : मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। कई लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर इस विधेयक का विरोध किया है । परन्तु उन्हें भी दिखाई देता होगा कि भारत ने कितनी आर्थिक प्रगति की है । जब पौंड और डालर का अवमूल्यन हो रहा है, रुपये का मूल्य बढ़ रहा है । इन लोगों ने जो विघटनकारी तरीके अपनाये थे उनके कारण संसद का प्रथम चार वर्षों में बहुत समय खराब हो गया था।

हमने अभी 44वां संशोधन विधेयक पारित किया है । न्यायालय से हजारों लिखित याचिकाएं निकाल ली जायेंगी। इसलिए इस विधेयक के कानून बन जाने पर हमें प्राधिकरण नियुक्त करने उसके कृत्य और अधिकारों सम्बन्धी कार्य भी करना चाहिये। यह आवश्यक है कि जो काम हमने शुरू किया है, उसे पूरा किया जाना चाहिये।

संविधान सभा बुलाने का विचार सदैव के लिए समाप्त हो चुका है । संविधान में संशोधन करने के संसद् के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता । अतः प्रशासनिक आधार पर भी यह उचित है कि संसद् की अवधि बढाई जाये ।

Shri S.A. Shamim (**Srinagar**) : The proposal to extend the life of Lok Sabha is regrettable. A disturbing feature of the proposal is that elections are being painted and presented as something dreadful. If you had advanced the argument that elections are being postponed on account of some administrative difficulties, we could have accepted it. But this argument that elections can not be held because subversive elements are raising their heads is not convincing. If this argument is taken to its logical end the elections will never take place in the country because in a huge country like ours some sort of trouble will always be going on at one place, or the other.

The Minister has said that subversive activities have again been started. This clearly means that the claims of gains accruing from the emergency is all baseless and a mere propaganda.

We have said that Parliament is supreme. This is true but if Parliament goes on extending its life year after year how can it remain Supreme in the eyes of the people ? Therefore, it is improper to give another extension .

During the last 2 years the system which has evolved in our country is very convenient for the Government. No body can dare utter anything against the Prime Minister and other Ministers. This is an indication that we are gradually heading towards dictatorship.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : मैं विधेयक का विरोध करता हूं । लोक सभा की कालावधि के दौबारा विस्तारण का अखिल भारतीय अण्णाद्रुमुक ने पूरी तरह विरोध किया है क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है । सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के इस तर्क को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव कराने से जनता का ध्यान आर्थिक विकास तथा कल्याणकारी कार्यों से हट जायेगा । वास्ताविकता तो यह है कि इससे 25 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः लोक सभा की कालावधि का विस्तार नहीं होना चाहिये ..... (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री तथा विधि मंत्री ने बार-बार यह बात दौहराई है कि चुनाव कराने में आपात्-स्थिति किसी भी तरह बाधक नहीं है । उनके अनुसार चुनाव कराने में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध या राजनीतिक अथवा सामाजिक बाधा नहीं है । हमें जनता के समक्ष जाने से घबराना नहीं चाहिये । देश के व्यापक हित में यह विधान पेश नही किया जाना चाहिये था । यह उचित समय है कि जनता के समक्ष जाया जाये और 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उनका समर्थन प्राप्त किया जाये ।

आपात स्थिति की घोषणा करने का उद्देश्य देश के प्रशासनिक तंत्र के भ्रष्टाचार को दूर करना तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करना था । अतः इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये । कीमतें बढ़ रही हैं । अतः इन पर नियंत्रण पाने के लिए तत्काल कदम उठाये जायें । जो भ्रष्ट अधिकारी 25 सूत्रीय कार्यक्रम का विरोध करते हैं उन्हें तत्काल सेवानिवृत्त किया जाये ।

श्री के० रघुरामैया : हम पीठाध्यक्ष के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं और हमें यह पता है कि दूसरा वाद-विवाद 2 बजे आरम्भ होना है । फ़िर भी कई सदस्य बोलना चाहते हैं । आप चार नाम और बोल दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल वस्तुस्थिति तक सीमित रहें ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : विपक्षी दलों के सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उनमें कोई ठोस तर्क नहीं है । हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम चुनाव नियमों तथा लोक प्रतिनिधित्व कानून में सुधार कर रहे हैं। अत: इससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आवश्यकता यह है कि आर्थिक कार्यक्रम की कार्यान्वित से जनता को लाभ पहुंचाया जाये। लोक सभा की अवधि आपातस्थिति की उद्घोषणा के आधार पर बढ़ाई गई है । अत: हम जो कुछ कर रहे हैं वह लोकतांत्रिक कार्यकरण के आधार पर ही है ।

कई अन्य लोकतांत्रिक देशों के भी ऐसे उदाहरण हैं, जहां आपात-स्थिति के समय चुनाव स्थगित किए गए हैं । ऐसा इंगलैंड में भी हुआ है । अत: यह कोई नई बात या विधान नहीं है। इससे तो यह प्रतीत होता है कि आपात-स्थिति की घोषणा के पश्चात् हमारा यह भरसक प्रयास है कि आपात-स्थिति की उपलब्धियों का समेकन किया जाये।

लोक सभा की कालावधि के पुन: एक वर्ष के लिए विस्तारण का उद्देश्य केवल आपात-स्थिति की उपलब्धियों को बटोरना है । वर्तमान स्थिति में चुनाव आवश्यक नहीं है। प्रतिक्रियावादी शक्तियां, निहित स्वार्थ तथा राष्ट्र विरोधी लोग सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर सिर उठा रहे हैं। सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशासन कायम किया जाये। क्योंकि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए अनुशासन नितान्त आवश्यक हैं।

अत: मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Dr. Kailas (Bombay-South) : There is perfect unity among members of the ruling party. If some members have headed for a constituent Assembly, idea is to carve out an entirely new constitution for the people. It is said that the ruling party is divided on the issue of supermacy of Parliament. But it is not so, we are fully united. There is nothing wrong in our seeking postponment of elections and extending the duration of Lok Sabha. It was in order to render better service to the people.

श्री डो० बसुमतारी (कोकराझार) : विधि मंत्री ने ठीक ही कहा है कि देश के अधिकाधिक हित में इस समय चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने यह विधेयक पेश किया है। विपक्षी सदस्य केवल विरोध के नाम पर ही इसका विरोध कर रहे हैं।

हमारी प्रधान मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि यद्यपि चुनाव महत्वपूर्ण हैं किन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना करना है तथा लोगों में कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है । आर्थिक विकास का काम भी अधिक महत्वपूर्ण है । अत: हमें चुनाव नहीं कराने चाहिए। अत: इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए।

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : आपातस्थिति से लोगों में अनुशासन के प्रति जागरुकता आई है तथा प्रयेक क्षेत्र में सुधार हुआ है । इससे ऐसा वातावरण तैयार हुआ है, जिससे कि कारखानों तथा खेतों में उत्पादन बढ़ा है । इससे मुद्रा स्फीति पर काबू पाने में सहायता मिलती है और साथ ही सट्टेबाजी तथा कालाबाजारी पर रोक लगायी जा सकती है । अपात-स्थिति से बाधक श्रमिकों को छुटकारा मिला है। फिर भी हमें आत्म संतोष नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि अभी बहुत कुछ करना शेष है। इसलिए हमें अपने लाखों देशवासियों की दशा सुधारने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है । इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है कि देश की अर्थ व्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने के लिए ऐसी स्थितियां पैदा करने की बहुत आवश्यकता है । अत: इस समय यह बात उपयुक्त समझी गई है कि पांचवीं लोक सभा की कालावधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाये।

अत: मैं इस विधेयक का पूरे दिल से स्वागत तथा समर्थन करता हूं ।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki): I support the Bill Whole-heartedly seeking extension of the present Lok Sabha. The Opposition Parties realize very well that if the implementation of 20 point-program me and 5 point programme continues for one more year as has been done so far, they would not be able to beg even a single seat. That is why they are opposed to this Bill.

It is very well known how certain forces were active prior to emergency for subverting democracy in this country and if the present emergency is revoked they would again raise their heads, and create an atmosphere of chaos, lawlessness and violence.

Some members have said that people of their area are demanding elections. It means that they have lost confidence of their people and that is why they demand fresh elections.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : एक माननीय सदस्य ने कल कहा कि संसदीय प्रजातन्त्र सही प्रजातन्त्र नहीं है और वे इसका समर्थन नहीं करते। मेरे विचार में हमारे दल तथा विरोधी दलों के कोई भी सदस्य उनकी बात का समर्थन नहीं करेंगे । इतना ही नहीं उन्होंने समाजवाद के बारे में भी एक पूरा भाषण दिया और हमें समाजवाद के बारे में शिक्षा भी दी ।

लेनिन की महानता के बारे में हमें किसी से भी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन कुछ माननीय सदस्य लेनिन को अपने ही ढंग से व्याख्या करते हैं। समाजवाद को व्याप्त वातावरण के अनुसार ही समझा जाना चाहिये ।

चुनाव शीघ्र कराने के बारे में भी कोई नई बात नहीं कही गई है। कुछ सदस्यों का कहना है कि यदि हम चुनाव नहीं कराते तो लोग प्रजातन्त्रीय प्रणाली में विश्वास खो बैठेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं समझते । हम इतना कह सकते हैं कि हमारे दल के लोगों ने जनता से सम्पर्क बना रखा है और वे स्थिति का सामना करना जानते हैं। हमारे पास यह कहने के कारण हैं कि लोगों ने संकट के समय भी परिपक्वता का परिचय देते हुये स्थिति का उचित ढंग से सामना किया है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि लोग यह अच्छी तरह से समझते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है वह प्रजातन्त्र को समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि प्रजातन्त्र को बनाये रखने तथा इसकी रक्षा करने के लिये किया जा रहा है। अत: विरोधी दल, विशेषकर साम्यवादी दल को इस बात पर पुन: विचार करना चाहिये तथा इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संसद् संविधान के सभी अथवा किसी भी अनुच्छेद का संशोधन करने के लिये पूर्णत: सक्षम है। यह कहना सच नहीं है कि हमारे सदस्य संविधान संशोधन विधेयक के बारे में और अधिक आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं हैं। इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है कि जो कुछ हम कहते हैं उससे कभी कभी पीछे भी हट जाते हैं । संसद् की इस सर्वोच्चता के लिये हम बहुत पहले से संघर्ष करते आये हैं और करते रहेंगे ।

इस बात को सभी जानते हैं कि आपातकालीन स्थिति घोषित करने के बाद बहुत लाभ हुये हैं विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में तो बहुत ही लाभ हुए हैं। लेकिन इन उपलब्धियों से हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि जो कुछ हम आज कर रहे हैं वह हम पहले ही कर चुके हैं। हम यह भी नहीं कहते कि जब तक वह सब न हो जाये तब तक चुनाव नहीं होंगे। मैं पहले कह चुका हूं कि हम उस स्थिति पर पहुंच गये हैं जहां स्थायित्व का वातावरण बन रहा है और इस स्थिति को बिगाड़ने के लिये अभी कुछ नहीं किया जाना चाहिये। हमें और अधिक स्थायित्व की आवश्यकता है और इस दिशा में सभी लोगों के प्रयास आवश्यक है।

पिछले 10-15 वर्षों के दौरान यदि कोई निर्णय सोच समझ कर उचित समय पर लिया गया तो वह चुनाव को स्थगित करने सम्बन्धी ही है और भविष्य में जब भी उचित समझा जाये चुनाव कराये जायेंगे। चुनाव स्थगित करने का अर्थ यह नहीं कि अब चुनाव ही नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंकायें नहीं होनी चाहियें।

अतः मैं आप से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को उस पर 3 फरवरी, 1977 तक राय जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि और बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided :

पक्ष में Ayes	156	विपक्ष में Noes	39

प्रस्ताव स्वीकृत आ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 2 को लेते हैं।

श्री कार्तिक उरांव : मैं अपने संशोधन संख्या 4, 5, 6 तथा 7 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 4, 5, 6 तथा 7 मतदान के लिए रखे तथा अस्वीकृत हुये।

Amendment No. 4, 5, 6 and 7 were put and negatived,

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री कार्तिक उरांव : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

मैंने यह संशोधन इसलिये पेश किया है कि "अवधि" शब्द अस्वाभाविक है । अतः "कालावधि" शब्द अधिक उचित है ।

मैं यह भी कह चुका हूं कि "छः" महीने के स्थान पर "एक वर्ष" किया जाये । मैं यह भी कह चुका हूं कि लोक सभा की कार्यावधि छः वर्ष की जाये (**व्यवधान**) ।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 3 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एव० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	180	विपक्ष में Noes	34

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till half past Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 30 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at half past fourteen of the clock.

[श्री० पी० पार्थसारथी पीठासीन हुये
SHRI P. PARTHASARTHY **in the Chair**]

याचिका का प्रस्तुत किया जाना

PRESENTATION OF PETITION

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों के लिये पृथक् विधान की आवश्यकता के बारे में मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों के कल्याण सम्बन्धी महासंघ की अध्यक्षा श्रीमती बसन्ती ए० पाई द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY

सभापति महोदय : इन दो विषयों को एक साथ लिया जा रहा है जिन पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Flood and Drought are permanent problems of the country. This year also many States are facing grave situation created by drought and floods.

The State of Bihar suffered most due to floods in the first nine months of the year. The flood caused heavy damage to property and crops in many parts of the State. They provided some relief to the people which was in fact not at all adequate. The Army and Air Force did commendable job in providing relief to the people.

Bihar has been facing devastating floods for the last three years. Patna, the capital of Bihar was inundated in 1975, as a result there was loss of private and public property worth crores of rupees. Embankment on Gaki Punpu river near Salempur, Chehut villages has been eroded because of carelessness of the officers concerned. This should be looked into and the officers found guilty should be punished. There has been heavy loss to crops in the flood hit areas in these 16 districts.

In view of this calamity I suggest that immediate steps should be taken to provide jobs and relief to the people rendered jobless because of floods. Intensive labour schemes should be started to provide jobs to these people, whose crops have been destroyed. These schemes have not been taken up in Bihar . Consumption loans should be given to the poor people. Cash assistance should be provided to the cultivators so that they may procure seed, fertilisers etc. Full house building cash relief should be given to those people whose houses have been destroyed in floods. Popular relief committees should be set up for relief work. Drinking water and medicines should be provided to the people. Collection of revenue should be suspended.

In order to check the recurring menace of floods, a master plan for flood relief should be prepared and Centre should take up itself the responsibility to implement this plan.

Punpun river flood relief and irrigation scheme should be implemented and work on this river should be completed before the next monsoon. Apart from this Fatuba, Mukama, Badaria Tal schemes should as also be implemented.

4 Districts of Bihar are also facing acute drought situation.

सरदार स्वर्ण सोखी (जमशेदपुर) : इस वर्ष हमारे देश में 5 राज्यों में बाढ़ आई है और 4 राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा है । समाचारों के अनुसार इस वर्ष समूचे विश्व में सूखा पड़ा है । कर्नाटक के 12 जिलों में भयंकर सूखा पड़ा है जिससे धान और गन्ने की खड़ी फसल ही नष्ट हो गई है । तमिलनाडु में अकाल के कारण पानी की कमी हो गई है वहां अधिकांश नदियों का जल सूख गया है। उड़ीसा में सूखे से 85 लाख लोग प्रभावित हैं । आंध्र प्रदेश के 8 या 9 जिलों में सूखा पड़ा है और फसल तो नष्ट ही हो गई है । इन जिलों में पेय जल की भारी कमी है ।

इस वर्ष बिहार में भयंकर बाढ आई है । बिहार के 31 जिलों में से 15 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं । बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को इन बाढ़ों से 4 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है । 124 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को भी हानि हुई है । बिजली घरों को भी बहुत क्षति पहुंची है। विभिन्न सिंचाई/बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की मरम्मत पर लगभग 17.85 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है । हाल की बाढ़ से धान की फसल पूर्णत: जलमग्न है ।

इस वर्ष रबी की फसल के लिए भारत सरकार से 15 करोड़ रुपये का ऋण मांगा गया था लेकिन बाढ़ों से हुई क्षति से अब 25 करोड़ रुपये का ऋण मांगा गया है।

बिहार सरकार ने अक्तूबर के महीने में भारत सरकार की विशेष समिति को एक ज्ञापन दिया जिसके अनुसार बाढ़ से हुई हानि को पूरा करने के लिए 117करोड़ रुपये की मांग की गई है। भारत सरकार को यह राशि शीघ्रातिशीघ्र मंजूर कर देनी चाहिए और इससे बिहार की रक्षा करनी चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि जहां उत्तरी बिहार में भयकर बाढ़ आई है वहां दक्षिण बिहार के सिंहभूम, हजारी बाग तथा अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ा है। राज्य को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि राज्य के गैर योजना बजट में 4.61 करोड़ रुपये का उपबन्ध है फिर भी यह राशि पर्याप्त नहीं है। राहत कार्यों के लिए वहां अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। बिहार में रोजगार बहुल योजनाए चलाई जानी चाहिए।

बिहार तथा देश के अन्य भागों में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए कोई स्थायी प्रबन्ध किये जाने चाहिएं। उत्तरी बिहार की नदियों का पानी दक्षिण बिहार में ले जाने के लिए केन्द्र को एक योजना तैयार करनी चाहिए। यह कार्य राज्य सरकार नहीं कर सकती। लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष बेघर बार हो जाते हैं। चल सिंचाई योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए तथा कुए खुदवाये जाने चाहिए। बाढ़ों को रोकने के लिए नदियों पर तटबन्धों का निर्माण करना चाहिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग को और अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए।

उत्तरी बिहार की नदियों का जल दक्षिण बिहार में ले जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना तैयार की जानी चाहिए। अत: भारत सरकार को बिहार की रक्षा के लिए हर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : The recent floods have caused havoc and heavy loss in almost all the States in the country. Some States have been affected with severe drought We have suffered loss of property worth crores of rupees due to these two natural calamities. About 70 lakh hectares land is inundated with flood every year. In spite of huge amount spent on flood control measures and construction of embankments over thousands of miles on the rivers we have not been able to stop the recurrence of floods.

All the rivers in Bihar have been in spate this year. This problem should be brought under national policy. It is, therefore, essential that a national policy in regard to floods should be evolved; and Agriculture and Irrigation should be brought under this policy. Flood control should be brought within jurisdiction of the Centre, becuase the officers of the State Government are not serious to control these problems of floods and drought.

There are 31 districts in Bihar and out of these 15 have been affected badly in the floods this time. 14 lakh hectares land was in the grip of drought last year.

In view of this situation I request the hon. Minister that sone and Punpur Valley Corporation should be formed for the development of this area.

Secondly adhoc or temporary flood relief measures shall not bear fruits. We should better take up a national programme and execute work of permanent value. Therefore this problem should be tackled on permanent basis. I am of the opinion that flood relief measures and construction works should be undertaken under the direct control of the Centre . In order to save Patna from floods a dam has been constructed as a result of this more than one crore people in other areas have been inundated and these people are in great difficulty. I, therefore suggest that a scientific approach is necessary to tackle this diabolical problem.

In view of the widespread devastation and huge damage caused by the floods more relief assistance should be provided to Bihar State as the amount already sanctioned is not sufficients to deal with the problem.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : आज उड़ीसा के समस्त 13 जिलों में भयंकर सूखा पड़ रहा है। इन सभी जिलों में 75 से 80 प्रतिशत खड़ी फसल सूख गई है क्योंकि वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। वहां कुएं तक सूख गये हैं। उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों के लोग तो बहुत अधिक संकट में हैं।

इस वर्ष उड़ीसा में 29 से 50 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। यहां खरीफ की मुख्य फसल है। यह फसल वर्षा पर ही निर्भर करती है। केवल 16 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उड़ीसा की जनता की रक्षा के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जाये।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि राज्य के लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार और अनाज उपलब्ध करायें। उनकी लगभग 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है। अगले वर्ष की खरीफ की फसल के लिए उन्हें बीज उपलब्ध कराये जायें। प्रत्येक गांव में उचित दर की दुकानें खोली जायें। छोटी सिंचाई योजनाओं, तालाबों तथा पुरानी सिंचाई योजनाओं पर फिर से काम शुरू किया जाये ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। सरकारी तथा सहकारी समिति की बकाया राशि की वसूली पर अभी रोक लगाई जानी चाहिए।

महानदी के दासपल्ला क्षेत्र में मणिभद्रा सिंचाई परियोजना को शीघ्र चालू किया जाना चाहिए। इससे लगभग 5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर 70 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। अतः मुझे आशा है केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अधिकतम सहायता देगी।

Shri Jaganath Mishra (Madhubani): Recurrence of floods in my State has become an annual feature. The Ganga, Sone and Punpun rivers have been in state this year and embankments on Punpun river have been eroled. Therefore recent floods in Bihar are unprecedented and flooded rivers have caused havoc in the state.

15 districts of the State have been badly affected by floods and population of 95 lakhs people has been suffering as a result of the floods. The State Government provided relief measures. But this is not enough. Therefore, the State Government has asked for bigger financial assistance from the Centre.

Floods have caused widespread devastation in Bihar. A Central team has been appointed to assess the extent of loss caused by the recent floods in the State and to suggest measures for relief. This team has estimated the loss to the tune of Rs. one billion and 82 crores caused to Bihar. This team should go deeper into the question of the causes responsible for floods. It is feared that embankment and bridges constructed on the rivers create obstacle in the smooth flour of rivers and are responsible for causing these floods. Such matters should be examined by this team. Even our Prime Minister want some permanent solution of this problem, of floods. I am also of the opinion that minor works and adhoc measures will not solve this problem.

14 Blocks out of 18 in my counstituency *i.e.* Madhubani district, are now affected by drought also. The people there are in difficulty as there will not be any kharif crop. I, therefore, request the hon. Minister to look into this and provide relief to the drought hit people.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : कर्नाटक राज्य में इस समय बहुत सूखा पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि दैवी विपदाएं इस बार बहुत गम्भीर हैं। राज्य के लगभग 15 जिलों में सूखा पड़ रहा है। कर्नाटक में खाद्यान्नों की कमी के बारे में केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि वर्तमान सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 1976-77 के दौरान 14 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाये। इसका 50 प्रतिशत भाग तो तुरन्त ही

दिया जाये क्योंकि कार्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं और इन्हें बीच में बन्द नहीं करना चाहिए। लेकिन यह ज्ञापन बहुत पुराना हो गया है और सूखे की स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। इसलिए हमें आश्वासन दिया गया है कि एक अन्य अध्ययन दल की नियुक्ति की जायेगी। आशा है इससे हमें पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता मिलेगी।

वर्तमान गृह मंत्री की अध्यक्षता में पांचवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए अकाल राहत के लिए विशेष राशि निर्धारित की है। आंध्र प्रदेश को 4.31 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जबकि हमारे राज्य कर्नाटक को केवल 1.91 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य को जो अकाल राहत के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जायेगी क्या वह इनकी सिफारिशों के अनुसार ही होगी। लेकिन राज्य सरकार ने 14 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है। क्या इस सहायता का यह अभिप्राय है कि केन्द्रीय सहायता में कमी की जायेगी जिससे राज्य में अन्य विकास कार्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सन्दर्भ में मैं यह कह सकता हूं कि 'सूखा (दुर्भिक्ष)' राज्य का विषय नहीं है। अतः यदि सम्पूर्ण कृषि को नहीं तो कम से कम 'सूखा (दुर्भिक्ष)' को तो समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

हमें 'रिगों' के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सहायता चाहिए। आशा है मंत्रालय इस पर विचार करेगा। देश के किसी न किसी भाग में प्रति वर्ष सूखा अवश्य पड़ता है जिसे हम दैवी आपदा भी कह सकते हैं। इसका सामना करने के लिए हम सहायता देते हैं। इसका ठीक उपयोग सभी व्यक्ति नहीं कर पाते हैं और दुरुपयोग होने की सम्भावना रहती है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध हैं कि इस सम्बन्ध में जांच की जाये।

कारवार–हुबली रेल लाइन को सूखा-राहत के रूप में बनाया जाये, क्योंकि यह मजदूर बहुल परियोजना है और वहां के सूखाग्रस्त लोगों को काफी राहत मिलेगी।

डा० के० एल० राव (विजयवाड़ा) : मैं कुछेक सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत की बाढ समस्या बहुत जटिल है। देश में बहुत सी नदियां हैं। इनसे बाढ की समस्या उत्पन्न होती है। इन नदियों को नियंत्रण में करने का विचार 1954 में किया गया था। तब से लेकर अब तक अनेक बाढ सम्बन्धी समितियां बनी हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी दी हैं। लेकिन फिर भी यह समस्या वैसी ही बनी हुई है।

हम ने बाढ नियंत्रण पर 400 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। हमारे देश में 200 लाख हैक्टेयर भूमि ऐसी है जहां बाढें आती हैं। इसमें से अभी तक एक-तिहाई क्षेत्र को ही बाढ़ से बचाया जा चुका है। वस्तुतः 400 करोड़ रुपये की थोड़ी सी राशि से हम ने बहुत अधिक कार्य किया है। लेकिन बाढों की चपेट में अधिकाधिक भूमि आती गई जिसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी।

भारत की नदियों की बाढ समस्या को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में नर्मदा की सहायक नदियां और उड़ीसा में वैतरणी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, बरबालांग नदियां आती हैं। इन नदियों पर जलाशय बनाये जाने की आवश्यकता है। इन नदियों पर बांध बनाने से बाढें रुकी हैं। दूसरे भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियां आती हैं। इन नदियों पर काबू पाना बहुत कठिन है। इन पर बांध बनाना कठिन कार्य है। इन बांधों का स्थल नेपाल में है। जब तक बांध नहीं बनाये जायेंगे यह समस्या हल नहीं होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में बाढ समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक अगले दशक में वहां बांध नहीं बनाये जायेंगे। मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए।

[डा० के० एल राव]

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब कोसी बांध बनाया गया था तो यह कहा गया था कि इससे 25 से 30 वर्ष तक समस्या हल हो जायेगी। लेकिन अब 20 वर्ष हो जाने के बाद भी यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अतः नदियों की सतह का सर्वेक्षण करके यह पता लगाया जाये कि यह बांध कहां तक बेकार हो चुका है। वैसे समूचा क्षेत्र बहुत खुशहाल है। इस खुशहाली को बनाये रखने के लिए खरार या बड़ाक्षेत्र में बांध बनाने का कार्य आरम्भ करना आवश्यक हो गया है। यह 10 वर्ष में बनकर तैयार हो जायेगा।

हमें कोसी के बारे में ढ़ील नहीं करनी चाहिए। यह बहुत ही भयानक नदी है। हमें इसके बारे में विशेष अध्ययन करके कुछ कार्यवाही अवश्य ही करनी होगी। अतः केन्द्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए कि इस नदी के बारे में गहन अध्ययन किया जाये। इससे पूर्व कि हम अचानक पकड़े जायें विभिन्न विकल्पों की जांच करनी होगी।

गंगा अच्छी नदी है। लेकिन इसमें कटाव बहुत होते हैं। बलिया (उत्तर प्रदेश) मानसी (बिहार) और दुलिया (पश्चिम बंगाल) में इससे भयंकर कटाव हुए हैं। हमें इस समूचे क्षेत्र में नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। अन्यथा हम कठिनाई में पड़ जायेंगे।

दक्षिण बिहार में नदियां अपेक्षाकृत छोटी हैं लेकिन इनसे बहुत कठिनाई पैदा हो जाती है। सोन नदी में बहुत भयंकर बाढ आती है। यदि सोन नदी पर बाण सागर बांध बनाया जाये तो सोन नदी नियंत्रण में आ सकती है और इससे हम पटना नगर को तथा कुछ सीमा तक थाल क्षेत्र को बाढ से बचा सकते हैं।

गंगा का पठार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चूंकि नदियां नेपाल से आती हैं, इसलिए वहां एक जलाशय का निर्माण करने के लिए नेपाल सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इससे न केवल हमें बल्कि नेपाल को भी लाभ होगा। यह मामला बहुत अर्से से अनिर्णीत पड़ा है। अतः हमें इस मामले को सुविचारित तरीके से उठाना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। हमें आसाम में नदियों के तटबन्धों को और दृढ करना चाहिए। यह एक मानक के अनुसार ही होना चाहिए। सुबनसारी क्षेत्र में ग्रेनाईट रॉक काफी मात्रा में उपलब्ध है। हमें इसकी सहायता से आसाम क्षेत्र में सुबनसारी नदी पर एक बांध बनाना चाहिए।

हमें तिब्बत के क्षेत्र में बांध का निर्माण करने के लिए चीन की सरकार से बातचीत करनी चाहिए। चीनी लोग बांध नियंत्रण कार्य में दक्ष हैं।

देश के उत्तरी भागों में, गंगा और ब्रह्मपुत्र में बाढ नियत्रण एककों की स्थापना करना आवश्यक है। आजकल हम बाढ आने पर सेना की सहायता लेते हैं। यह इतना कुशल नहीं है। अतः हमें मानसून के दौरान दो एकक--एक गंगा के पठार के लिए और दूसरा ब्रह्मपुत्र के लिए बनाने चाहिए। इन महीनों में किसी भी प्रकार की आपातस्थिति का मुकाबला करने के लिए इन्हें हैलीकाप्टरों और नौकाओं से लैस करना चाहिए।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary (Hoshangabad) - Sir, we have not been able to over come these natural calamities. Our peasants oare de per der t on the nature.

Rewa and Chhatisgarh Divisions of Madhya Pradesh are in the grip of severe drought. Jabalpur, Bhopal and Indore divisions in Narmada belt are also badly affected. Land has dried up and cannot be brought under cultivation.

Only nine percent of land in Madhya Pradesh is irrigated land whereas national average in Irrigation is 23 per cent. 15 per cent of the country's water is available in Madhya Pradesh. If only one third of this water is utilised for irrigation Madhya Pradesh can get great relief. If Bansagar Dam is constructed Rewa area can be brought under irrigation. Chhatisgarh can be brought under irrigation from the waters of Mahanadi and Banganga.

There are 8 lakh 33 thousand wells in Madhya Pradesh out of them 1 lakh 81 thousand wells are powers operated. 6 lakh 67 thousand wells are laying unused. If underground water is used for energising these wells agricultural production will og up considerably. But there is acute scarcity of water there. A long term plan should be formulated so as to provide relief to the people of these areas. That plan should be implemented in a proper manner.

A Central team should be sent to Chhatisgarh to study the situation of whole of this area. Then Government could be in a better position to help the people.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): I will not take much time of the House as I am to present just few facts. Mr. Rao has given a very valuable speech in which he has tried to cover the main problems of all parts of the country related to flood and drought. I want to stress that floods are creating great havoc in the country every year. It is almost a regular phenomenon. The Government must take positive steps to meet this recurring situation.

It will not be out of place for me to mention here that Punjab is very badly affected by the floods. This year there was all the more havoc. My submission is that some steps should be taken to relieve the people of this worry. Thiem Dam and other similar projects should be executed at the earliest. In this connection I may further submit that there should be a special cell in the Ministry which should pay immediate attention to minor irrigation scheme to provide irrigation facilities to more and more areas.

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं एक आम बात हो गई है क्योंकि हमारे देश की मौनसून में परिवर्तन हो रहा है। मेरा सुझाव है कि प्राकृतिक आपदाओं के कार्य से निपटने के लिए हमारा एक अलग विभाग तथा मंत्री होना चाहिए जिसका कार्य यह हो कि बाढों से होने वालो तबाही पर तुरन्त नियंत्रण किया जा सके।

हम अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि नदी जल विवादों से हमारे देश को काफी नुकसान हुआ है। अनेक ऐसे विवाद है जो वर्षों से लटकते चले आ रहे हैं तथा अभी तक उनका समाधान नहीं हो पाया है। हमारे देश का कितना ही जल बिना उपयुक्त उपयोग के बेकार समुद्र में जा मिलता है। नदियों का जल तथा सिंचाई का सम्बन्ध हमारे देश के समृद्धि योजनाओं के साथ गहरा है तथा इन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

गंगा को कावेरी से जोड़ने वाली बड़ी-बड़ी परियोजनाएं आरम्भ करनी होंगी। जितना शीघ्र ऐसा किया जाएगा अच्छा होगा क्योंकि इससे बाड़ों पर नियंत्रण हो सकेगा और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी उपलब्ध हो सकेगा।

आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष अभूतपूर्व सूखा पड़ा है। रायलसीमा में एक वर्ष में केवल 20 इंच वर्षा हुई और वह भी अनिश्चित समय पर हुई। गत 50 वर्षों के दौरान हमने ऐसा भयंकर सूखा नहीं देखा और वहां पर पीने के पानी का भी अभाव है। इस क्षेत्र में सूखा और अकाल को दूर करने के लिए स्थायी तौर पर राहत कार्य किए जाने चाहिएं। श्रीसैलाम पन-बिजली परियोजना से कृष्णा के जल को लेने के कार्य को पूरा किया जाना चाहिए।

40 लाख जनसंख्या वाले मद्रास सिटी के लोगों की यह मांग है कि चूंकि उनके पास पीने के पानी का अभाव है, अतः कृष्णा का पानी उन्हें उपलब्ध किया जाना चाहिए। उन्हें यह पानी उपलब्ध करने का केवल एक तरीका यह है कि वतमान श्रीसैलाम परियोजना को

[श्री पी० वेंक्टासुब्बया]

बहु-परियोजनीय परियोजना में बदला जाए। पानी का बहाव रायलसीमा से लाना होगा ताकि इसे मद्रास सिटी को सप्लाई किया जा सके। केन्द्रीय सरकार को रायलसीमा से मद्रास सिटी को पानी सप्लाई करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए।

तेलंगाना में भी भारी सूखा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार राज्य में अकाल को दूर करने के अपनी वित्तीय सीमाओं के भीतर सभी सम्भव प्रयास कर रही है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष गोदावरी बैराज ने डेल्टा तोड़ दिया है। देश के खलियान गोदावरी डेल्डा में भी गम्भीर समस्या है। गोदावरी नदी पर शीघ्र एक बैराज बनाने के लिए भारी धन व्यय करना होगा ताकि खाद्य उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े।

रायलसीमा के कुछ जिलों और तेलंगाना के कुछ जिलों को सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा रहा है और इन क्षेत्र में डी०पी०ए०वी० कार्यक्रम चल रहा है। केन्द्रीय सरकार को इस कार्यक्रम के लिए अधिक फंड नियत करना चाहिए ताकि इन योजनाओं को आरम्भ किया जा सके।

लोगों को सूखे की स्थिति से राहत देने के लिए गम्भीर कदम उठाने होंगे। बार-बार के सूखे की स्थिति को रोकना होगा। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को अधिक सहायता देनी चाहिए ताकि वे समन्वित कार्य पूरा कर सकें।

***श्री मनोरंजन हाजरा** (आरामबाग) : मैंने सदन में हो रही चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना। है फरक्का बांध के निर्माण से कलकत्ता पत्तन को निःसन्देह लाभ हुआ है। लेकिन उस योजना में जो त्रुटियां रह गई थी उन्हें ठीक नहीं किया गया है। हलदिया के एक भाग को फरक्का बांध से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। योजना में कुछ त्रुटियां रहने के कारण मुर्शिदाबाद का बहुत बड़ा भाग सदैव जलमग्न रहता है।

हमें एक ओर बाढों से निरन्तर कठिनाई का सामना करना पड़ता है और दूसरी ओर सूखे के कारण। इस दोहरी चुनौती का सामना करने के लिए सरकार को अधिक सर्तक रहना है और सम्बन्धित विभाग का आमूल पुनर्गठन करना होगा।

पुन पुन फालगु, कर्मनाश और दामोदर से आरंभ होने वाली नदियों का अतिरिक्त जल लोअर दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से गुजर जाता है और यह सम्पूर्ण क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहता है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य इंजीनियर ने एक योजना तैयार की कि यदि मुन्देश्वरी नदी के दोनों तटों पर बांध बनाये जायें तो बाढ़ की समस्या हल हो सकती है। यह नदी बांधों से नियंत्रण में नहीं आ सकती। फालतु जल की वैज्ञानिक तरीकों से निकासी की जा सकती है।

दामोदर घाटी निगम के शेष चार बांधों का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। बेगुआ के निकट सलीमघाट से, जहां दामोदर मुन्देश्वरी से अलग होती है दामोदर की समूची तह की खुदाई की जानी चाहिए। बेगुआ पर एक जल कपाट का निर्माण किया जाना चाहिए।

*बंगला भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Bengali.

रूपनारायण नदी के तल की खुदाई की जानी चाहिए। इस नदी का जल स्तर, जहां मुन्देश्वरी जा कर इसमें गिरती है, इतना ऊंचा हो गया है कि मुन्देश्वरी का जल आसानी से नहीं बहता है। इसीलिए वह क्षेत्र बहुधा जलमग्न रहता है। इन परिस्थितियों में मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह अपने बाढ़ नियंत्रण विभाग को पुनर्गठित करें और उसमें अनुभवी और निष्ठ व्यक्ति नियुक्त करें।

पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति सूखे से प्रभावित हैं। वहां कोई फसल ही नहीं होती है। सरकार को अपनी समूची मशीनरी को पुनर्गठित करना चाहिए जिससे कि सूखे का मुकाबला पूरी सतर्कता और वैज्ञानिक तरीकों से किया जाए। इस भयंकर स्थिति का मुकाबला करने का और कोई चारा नहीं है। हम सभी को एक दूसरे के साथ मिल कर इसके लिए कार्य करना चाहिए।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : केरल में इस बार अभूतपूर्व सूखा पड़ा है जिसका व्यापक ब्यौरा वहां के मुख्य मंत्री ने अपने ज्ञापन में दे दिया है। केरल में लगातार सूखे की स्थिति के कारण किसानों, खेतहिर मजदूरों और कृषि से सम्बद्ध लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सूखे की स्थिति से कृषि उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ा है तथा उन हजारों मजदूरों को बेकार कर दिया गया है जिनके लिए मौसमी खेती ही जीवन यापन का एकमात्र साधन है। किसानों और खेतिहर मजदूरों को तुरन्त राहत देने के लिए राज्य सरकार कुछ कदम उठाना चाहती है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भी भेजा है। इस पर लगभग 393 लाख रुपए व्यय होंगे। हमें आशा है कि भारत सरकार द्वारा इस योजना की पूर्ण स्वीकृति की अनुमति दी जाएगी। सरकार को 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अल्पावधि ऋण के रूप में दे देना चाहिए।

श्री डी० के० पंडा (भजनगर) : हमारी पहली चारों पंचवर्षीय योजनाओं तथा वर्तमान पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बावजूद भी उड़ीसा राज्य में सूखे का प्रकोप कम नहीं हो पाया है। आज उड़ीसा में सूखे की स्थिति बहुत ही गंभीर है तथा राज्य में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। पीने के पानी के लिए क्रास बांध बनाए गए तथा इसी प्रयोजन के लिए कुछ स्थानों पर तटों को भी काटा गया। गत 27 वर्षों से यह स्थिति चली आ रही है कि उड़ीसा में केवल 16 प्रतिशत भूमि की ही सिंचाई हो रही है। वहां वर्ष में केवल एक ही फसल होती है। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उड़ीसा में सूखे की स्थिति कितना गंभीर रूप धारण किए हुए है।

उड़ीसा राज्य की इस गंभीर स्थिति के सन्दर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो कि काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। उड़ीसा में इस समय लगभग दो करोड़ लोग इस भारी संकट का सामना कर रहे हैं। लोगों को तुरन्त राहत दी जानी चाहिए। राहत कार्यों के माध्यम से हम रोजगार के अवसर भी जुटा सकेंगे। केन्द्र को इस कार्य के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए तुरन्त सहायता के रूप में देने चाहिएं। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भू-राजस्व की वसूली रोक दी जानी चाहिए। राहत का वितरण किया जाना चाहिए। पीने के पानी की सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। उचित दर की कुछ दुकानें खोली जानी चाहिएं। जो लोग बेघर है उनके पुर्नवास के लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। अन्त में मेरा निवेदन यह है कि लघु सिंचाई योजनाओं को भी शीघ्र ही आरम्भ किया जाना चाहिए। केन्द्र का एक दल उड़ीसा भेजा जाना चाहिए तथा लोगों को राहत दिलाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

Shri P. Ganga Reddy (Adilabad): It is well known that floods have taken a heavy toll of human life and property in our country. Since independence, the country suffered loss to the tune of about 4000 crores. It is good that National Flood Commission has been set up.

Some eight or nine States have been affected by drought. Good work is being done under drought prone area programme. There is need to provide more and more irrigation facilities.

We should bring about some change in agronomic practices. Attention should be paid towards conservation of forests. Agricultural workers and farmers should be given necessary financial assistance. We should bring more and more areas under forests. The pending river water disputes should be resolved. The Scheme to link Ganga and Cauvery should be taken up.

Shri Chandu Lal Chandrakar (Durg): Many parts of the country have been affected by drought and Madhya Pradesh is facing unprecedented situation of famine since the last 50 years. In Madhya Pradesh 30 to 35 districts out of a total of 45 districts are affected by drought. Chhatisgarh area has not seen such a drought during the century.

A team to study the situation of drought and recommend the relief measures should be sent by the Central Government to Chhatisgarh. The Central Government should deal with the situation on humanitarian grounds and provide adequate funds to Madhya Pradesh to take up relief work and provide employment to the drought-affected people there. Fair price shops should also be opened to provide ration to the poor people in rural areas as well as hilly areas of Madhya Pradesh.

Keeping in view the problem of unemployment and also the drought situation in Madhya Pradesh work on the railway line from Rajra to Baster should be taken up. This construction work will go a long way in providing employment to the poor people of the State who are already facing drought conditions.

In addition, crops have been badly damaged in Durg District of Madhya Pradesh. Relief and assistance to some two lakh people of this area will have to be provided. The Central Government will have to provide maximum funds for this purpose. Also maximum irrigation facilities should also be provided to Madhya Pradesh.

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हस्कोटे) : इस वर्ष कर्नाटक और इसके साथ लगने वाले आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों में सूखा पड़ा है । तमिलनाडु के कुछ भागों में भी सूखा पड़ा है ।

दक्षिण पश्चिम मानसून से 50 प्रतिशत वर्षा, जो कर्नाटक और आंध्र के कुछ भागों में होनी थी, नहीं हुई । इसके परिणामस्वरूप, कर्नाटक में हमारी पहली फसल पूर्णतया फेल हो गई । कर्नाटक के उत्तरी भागों में सूखे के कारण फसलें फेल हो गईं । सितम्बर–अक्तूबर में वर्षा न होने से हम कुछ न कर पाये । केन्द्र को कर्नाटक राज्य में और आंध्र के भागों और रायलसीमा तथा तमिलनाडु में वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक सरकारी दल तुरन्त भेजना चाहिये । यदि स्थिति का मुकाबला करने के लिये इन राज्यों को पर्याप्त धन नहीं दिया गया तो गरीब लोग भूखे मर जायेंगे ।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : अधिकांश राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी देने में भारत सरकार ने विलम्ब किया है । यद्यपि राज्य सरकारें उन्हें पूरी करने के लिए बहुत चिन्तित हैं । परियोजनाओं की योजना मंजूर होने के बाद भी उसमें कभी धनाभाव, कभी तकनीकी कारणों और कभी अन्य कारणों से विलम्ब हो जाता है ।

श्री काटन ने 1852 में गोदावरी परियोजना का 5 या 6 करोड़ की लागत से निर्माण किया था । उन्होंने उस समय इसे पूरा करने में केवल 5 वर्ष लगाये थे । जबकि उस समय बिजली तथा अन्य आधुनिक जानकारी प्राप्त नहीं थी । लेकिन अब इन सब बातों तथा धन और विश्व बैंक की सहायता के बावजूद भी इन मामलों में शीघ्रता नहीं बरती जा रही है । सभी छोटी-बड़ी परियोजनाएं धनाभाव के कारण बन्द कर दी गई हैं । राज्य सरकार महसूस करती है कि

केन्द्र ने उसे पर्याप्त धन नहीं दिया है जिससे नागार्जुनसागर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य चालू रखा जा सके। अतः केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिये जिससे कि वह इन परियोजनाओं को पूरा कर सके।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : कर्नाटक में इस वर्ष बाढ़ और सूखा बहुत भयंकर पड़ा है। राज्य सरकार ने बताया है कि 13 जिले इस संकट से प्रभावित हुए हैं। जब हमारे अधिकारी अपनी रिपोर्ट लिखने में लगे हुए थे तो लोग और पशु मर रहे थे। मंत्रालय को एक बोर्ड बनाना चाहिए जो अकाल, सूखा और बाढ़ जैसी दैवी आपदाओं का मुकाबला करे। हमें एक स्थायी तंत्र बनाना चाहिये। हमें ऐसी दैवी आपदाओं का मुकाबला करने के लिये एक निधि या कोष बनाना चाहिए।

कर्नाटक को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। केवल $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये की राशि ही दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों में इतनी भारी हानि हुई है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

अकाल संहिता में संशोधन करना होगा। कुलियों को देय मजूरी की दरो में भी संशोधन करना होगा। भारत सरकार को ऐसे मामलों में भारी सहायता करनी चाहिए। कोई दल भेजने से लाभ नहीं होने का। हमें अपने चुनाव क्षेत्रों में पहुंचने से पहले वहां पर्याप्त राहत प्रबन्ध करने चाहियें। लोग सन्तुष्ट होने चाहिएं। हमें परिस्थिति की गम्भीरता का पता लगाना चाहिए। कार्यवाही तुरन्त की जानी चाहिए। कर्नाटक में जनता और पशुओं की जान बचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों को वित्तीय सहायता पहुंचानी चाहिए।

श्री एस० एन० सिंह देव (बांकुरा) : जहां देश के एक भाग में बाढ़ का प्रकोप है वहां दूसरे भागों में विकट सूखा पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप लोगों को बहुत हानि हो रही है और वे विकट स्थिति में हैं। उदाहरणार्थ उत्तरी बंगाल में बाढ़ का भयानक प्रकोप है और अनेक लोग बेघर हो गये है। पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी भागों में विकट सूखा पड़ रहा है और लोग बड़ी दयनीय स्थिति में हैं।

पुरुलिया और बांकुरा जिलों में इस वर्ष मानसून नहीं आया है और बहुत से खेतों में फसल ही नहीं उगाई गई है और जिन भागों में फसल उगाई गई वहां वर्षा न होने से खड़ी फसल सूख गई है जिसके फलस्वरूप अनेक छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और मध्यम वर्ग के किसान बहुत शोचनीय स्थिति में हैं। अतः सरकार को लोगों की सहायता करनी चाहिए और इन प्रभावित जिलों को अधिक धन आवंटित करना चाहिए ताकि अनेक मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाएं आरम्भ की जा सकें और खेतों की सिंचाई की जाये तथा अधिकाधिक लोगों को काम दिया जाये ताकि वे अपनी आजीविका कमाकर अपने परिवार के लोगों की रक्षा कर सकें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी समितियों को निदेश दिया जाना चाहिये कि वे अल्पावधि फसल ऋण और दीर्घावधि कृषि विकास ऋण दें ताकि मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाएं बड़े पैमाने पर आरम्भ की जा सकें।

प्रभावित निराश्रित लोगों के लिये लंगर खोले जाने चाहिये तथा मध्यम वर्ग के लोगों को पका भोजन सस्ते दामों पर सप्लाई किया जाना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है बांकुरा और पुरुलिया जिलों में अपर कनसाबती नदी तथा दरकेशर नदी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परन्तु इनके लिये धनराशि नहीं दी गई है। इसके परिणामस्वरूप इन दो परियोजनाओं का काम तेजी

से नहीं चल रहा है । इसका प्रभाव यह हो रहा है कि जिस भूमि में सिंचाई हो सकती थी, उसमें सिंचाई नहीं हो पा रही है । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इन परियोजनाओं के लिये शीघ्र धन राशि दी जाये ।

*श्री एस० ० मुरुगनत्तम (तिरुनेलवी) : तमिलनाडु के तिरुनेलवी, रामानाथापुरम, मदुरै, सेलम, कोयम्बटूर, धर्मपूरी, उत्तर अर्काट, दक्षिण अर्काट, पड्डुकोटाई और त्रिचिरापल्ली इन दस जिलों में सूखे का प्रभाव है । तनजोर जिला भी, जिसे दक्षिण का खलियान कहा जाता है, कावेरी नदी से बारह माह पानी ने मिलने के कारण सूखे से प्रभावित है । सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार 4,121 गांव सूखे से प्रभावित हैं । इन क्षेत्रों का दौरा करने वाले दो केन्द्रीय दलों ने सूखे की गम्भीरता का नक्शा खेंचा है । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा कुछ केन्द्रीय मंत्रियों ने भी तमिलनाडु के कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है ।

तिरुनेलवी, रामानाथापुरम् और कोयम्बटूर इन तीन जिलों में गत तीन वर्षों से वर्षा नहीं हुई है । ताड़ खजूर के पेड़, जो भारी सूखे में भी हरे रह सकते हैं, सूखने शुरू हो गये हैं । तिरुनेलवी जिले के लोग, जिन की आजीविका ताड़ खजूर के पेड़ों पर निर्भर है, भयंकर संकट में हैं । कृषकों ने लाचार हो कर अपने पशु को 15 अथवा 20 प्रतिशत मूल्य पर बेच दिया है क्योंकि उन्हें पशुओ के लिये चारा नहीं मिल रहा है । वहां की स्थिति इतनी गम्भीर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

इस भंयकर सूखे का मुकाबला करने के लिये राज्य सरकार ने 31 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक कार्यक्रम तैयार किया है । राहत कार्य के रूप में 6300 पेय जल के कुंए खोदने और ऐसी ही अन्य रोजगार बहुल योजनायें आरम्भ की गई हैं । लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । कुटीर और लघु उद्योग चलाने के लिये अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन से दुखी लोगों को तुरन्त लाभ होगा । केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु में बार बार पड़ने वाले सूखे के प्रभाव को कम करने के लिये कोई स्थायी योजना तैयार करनी चाहिए ।

यह वास्तव में विरोधाभास है कि हम देश के कुछ भागों में सूखे के प्रकोप की चर्चा करते हैं और साथ ही देश के अन्य भागों में भयंकर बाढ़ों का उल्लेख कर रहे हैं । यदि इस प्राकृतिक आपदा को कम करना है तो केन्द्रीय सरकार को गंगा को कावरी नदी से मिलाने वाली भव्य योजना को कार्यान्वित करने का काम आरम्भ कर देना चाहिए । मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार इस विशाल योजना को कार्यान्वित करने के लिए आगे आयेगी ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को तमिलनाडु के लिये पर्याप्त जल प्राप्त करने के लिये केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे पड़ौसी राज्यों से बातचीत आरम्भ करनी चाहिए । भूतपूर्व डी० एम० के० सरकार तो केवल पृथकवादी दृष्टिकोण का प्रचार करने में लगी हुई थी । उसे तमिलनाडु के लिये पड़ौसी राज्यों से जल प्राप्त करने में कोई रुचि नही थी । अब मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में पहल करे, क्योंकि तमिलनाडु में इस समय राष्ट्रपति शासन है ।

जैसा कि 100 वर्ष पहले सूखे के वर्ष में राहत कार्य के रूप में तिरुनीवेली—कोयलपट्टी रेल लाईन का निर्माण किया गया था, उसी तरह अब 22 करोड़ रुपये के परिव्यय से तैयार नेलाई—

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarized translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

कुमारी रेलवे लाईन योजना को तेजी से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अभी तक केवल 30 प्रतिशत कार्य हुआ है । इस वर्ष इस कार्य के लिये केवल 73 लाख रुपये की धन राशि मिली है । यदि यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाना है, तो इसे सूखा राहत कार्य के रूप में मानना चाहिए । इस से सूखे के कारण भारी मुसीबत में फंसे लोगो का रोजगार के अवसर मिल सकेंगे ।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं इस बात पर पुनः जोर देता हूं कि तमिलनाडु को बार-बार सूखे से प्रभावित होने से बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई स्थायी योजना बनाई जानी चाहिए ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : गत् तीस वर्षों से सरकार वैज्ञानिक ढंग से बाढ़ नियंत्रण और सूखा समाप्त करने की योजना तैयार कर रही है । लेकिन कठिनाई यह है कि लोग अंधाधुध बनों को काट रहे हैं, जिससे हमारे वन 50 प्रतिशत रह गए हैं सब चरागाहों में खेती की जाने लगी है । इसी कारण देश में बाढ़ आती रहती हैं और सूखा पड़ता रहता है ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत ऊपजाऊ क्षेत्र है तथा उस से प्रति वर्ष केन्द्रीय पूल को एक लाख टन तिलहन तथा अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त एक लाख टन चावल प्राप्त होता है । इस वर्ष सूखे के कारण बरानी फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है। भावी फसल अर्थात् अदालसी जो 1600 एकड़ भूमि में गत जून-जुलाई में बोई गई थी, सूखे से बुरी तरह प्रभावित हो गई है । इस का अर्थ यह है कि 16000 एकड़ में लगाई गई धन राशि नष्ट हो गई है । इस से लगभग 10 करोड़ रुपये की क्षति हुई है । लोग चाहते हैं कि यह सारी हानि या तो भारत सरकार पूरा करे या राज्य सरकार। यदि यह संभव नहीं है तो बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाये और ऋण आसान किश्तों में वापस लिया जाये । यदि ऐसा नहीं किया गया तो किसानों की धान तथा गन्ना उगाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

जब पिछली बार सूखा पड़ा था तो श्री शिन्दे ने निजामाबाद में गोदावरी नदी पर दो उठाऊ-सिचाई योजनाओं की स्वीकृति दी । मंत्री महोदय को तत्काल उन के लिए धन की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए ताकि इन उठाऊ-सिचाई योजनाओं पर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा सके और दो या तीन महीनों में पूरा किया जा सके ।

Shri Chandrika Prasad (Balia): Mr. Chairman, Sir, Uttar Pradesh is one of the biggest States of India and almost two-third area of this State has been affected by flood this year. The fury and devastation caused by floods this year is unprecedented. A number of districts like Balia, Azamgarh, Ghazipur, Deoria and Gorakhpur of U.P. have been badly hit. 95 per cent of the crops of Balia district have been distroyed by flood.

In the district of Balia approval was accorded for the construction of Baria-Sansar Tola Dam during the first five year plan. But the same has not been constructed so far. It should be constructed now. Similarly Vakulha-Sansar Tola dam was badly affected by the floods in 1975 and it has been completely washed away by the recent floods. Therefore it should be reconstructed. I want to say once again as I have been reiterating during the last twenty years that in order to save the villages adjacent to Ghagra embankments should be constructed on that river. At the same time I suggest that early steps should be taken to draw out flood waters of Pipra, Katharia and Daulatpur villages, so that the land could be cultivated there. Efforts should also be made to save the villages from erosion of water of Tons river.

A number of irrigation and flood protection schemes for our area have already been approved by Ganga Commission and the Planning Commission. But the requisite finances are not forthcoming and that is why work is not progressing. Efforts should be made to make funds available so that the schemes could be implemented early.

I suggest that a Parliamentary Committee under the Chairmanship of Dr. K. L. Rao should be appointed to study the situation and suggest measures for protection from floods and also to allocate priorities to different irrigation and flood Control Schemes.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : जहां तक चावल के उत्पादन का सम्बन्ध है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पंजाब ही तीन एसे राज्य हैं जिनमें आवश्यकता से अधिक चावल पैदा होता है और जो केन्द्रीय पूल को चावल देते हैं । परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि इस वर्ष समय पर वर्षा न होने तथा सितम्बर में वर्षा न होने के कारण उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में जैसे श्रीकाकालुम जैसे जिलों में चावल की लगभग 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है । धान के खेतों में बिल्कुल भी पानी नहीं है ।

उड़ीसा सरकार ने पहले ही केन्द्र को बता दिया है कि वह केन्द्रीय पूल में कुछ भी अंशदान नहीं दे सकेंगे । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि छोटी और मध्यम परियोजनाओं से समस्या हल नहीं होगी । यदि काफी बड़े क्षेत्र में वर्षा नहीं होती और अपवाह क्षेत्र में पानी न बरसता तो छोटी परियोजनाओं से काम नहीं चलेगा । अतः हमें बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू करना चाहिए । अतः उपरि इन्द्रावती परियोजना, जिस से कि सूखाग्रस्त कालाहांडी जिले की पांच लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी, पर शीघ्रतिशीघ्र कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए । 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने इस परियोजना को अपनी स्वीकृति दे दी है तथा अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद हल हो गया है । अब यह परियोजना योजना आयोग के पास तकनीकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन पड़ी है । आशा है इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दे दी जायेगी । पहले इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था । परन्तु अब संशोधित अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । यदि यह राशि योजना वित्त द्वारा पूरी नहीं की जा सकती तो केन्द्र को इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता या किसी अन्य देश से सहयोग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास की अत्यधिक गुंजाइश है ।

Shri M. C. Dage (Pali): The famine policy of the Government should be drastically changed without delay. At present famine is a State subject. The Centre allocates the funds only and the rest of the work is left to the State. The result is that the amount is not properly utilised and a major portion of the allocation is misappropriated by the contractors and engineers etc. So the Centre should change its famine policy without further delay. The present policy has not proved effective. It was constituted as far back as 1936. Therefore it needs immediate revision.

Revenue collections are usually suspended in the areas affected by droughts and floods. It is later recovered along with interest. I will suggest that flood hit areas should receive full exemption from revenues.

So far as Rajasthan is concerned our sole demand is that the Rajasthan Canal should be completed at the earliest.

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj): Mr. Chairman, this year floods were not only unprecedented but were unusual in their nature. Floods usually come during the month of July-August. But the recent flood came in mid-September when the people were absolutely unprepared for such a havoc.

More attention is usually paid to save towns and cities than to save villages from the floods. The result is that while a great publicity is made of floods in towns no attention is paid towards the miserable plight of poor villages. It is pity that our Government whether in the state or in the Centre is urban oriented and not rural oriented.

Family planning is also responsible for creating floods. For instance, embankments at a cost of Rs. 12 crores was constructed on the South bank of Ganga to save Patna town but the north bank was left unattended. The result was that the water flooded in north area and a large number of villagers on that side had to suffer.

A national flood and drought Commission should be constitued to study and to suggest measures to check this recurring menace of floods and drought. It should be the duty of the centre to implement the schemes finalised by the Commission.

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): Mr. Chairman, it is strange that water of rivers in our country flows down wastefully and the agriculture, on the other hand, is starved of water due to lack of schemes of adequate irrigation. The amount sanctioned for construction of Van-Ganga project has been diverted to other project in Maharashtra due to certain political factors. If this project is completed, it would be possible to provide water to Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Vidarbha and to avoid large devastation by floods in those areas.

The region of Nagpur, Amravati and Bhandare districts which are the main orange-producing centres in the country, is facing an acute drought and if water storage schemes are not drawn up, all the orange trees in that area will dry up. Government should pay attention immediately to this problem.

River water should be declared a national asset and all schemes regarding it should be under the control of the Centre which should undertake a survey of the entire country, and draw up schemes of constructing such reservoirs as are free from political overtones. Those schemes should be drawn up from the view point of a balanced economic development. Water should be brought under the exclusive control of the Centre.

Shri Paripoornanand Painuli. (Tehri-Garhwal): It is painful to note that Uttar Pradesh where 39 lakhs of people and 15 lakhs of acres of land has been affected by floods, has been given far lesser assistance to the tune of only 2.18 crores than the assistance given to those States which have incurred lesser loss. Therefore, such kind of step-motherly treatment should not be made with Uttar Pradesh.

So far as floods in U.P., Rajasthan, Punjab and Haryana are concerned, it is possible to avoid floods this year if the Inter-State Flood Control Boards are constituted in time to start work properly. A large portion of the Central Assistance and funds is misused. Relief works are simply *ad hoc* arrangements and such short term measures do not offer a permanent remedy.

Manpower in rural areas should be utilised for execution of flood protection works, village Panchayats and Gram-Sabhas should be associated in undertaking jobs of widening the canals or constructing dams. Flood protection cell works ought to be initiated well in time before the floods come.

The Defence Department personnel deserves congratulations for the service rendered by them to flood affected people. They should train up rural people so that they may have that heavy tasks.

Deafforestation is at the root of the problem of floods. So, trees should be protected in hilly areas and more and more afforestation should be taken up.

If the schemes of constructing dams have been completed well in time, we could have avoided such a large devastation by floods. Therefore such schemes should be given priority and completed earnestly.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (चुलुबेरिया) : सभापति महोदय, सूखे की समस्या किसी राज्य विशेष की समस्या नहीं है अपितु यह देश भर की समस्या है। देश के कुछ भागों में अधिक वर्षा होती है और कुछ भागों में कम। इसका समाधान यह है कि जिन भागों में अधिक वर्षा होती है वहां का जल एकत्र करके उसका उपयोग खुश्क मौसम में किया जाये इसके लिये पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था की जाये दूसरे वनरोपण के माध्यम से भी नदियों के जल को रोका जाना चाहिये। इसके बिना हम वर्षा, सूखे बाढ़ इत्यादि पर नियन्त्रण नहीं पा सकते। सरकार के पास कई वैज्ञानिक परियोजनायें हैं लेकिन राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है और केन्द्र सरकार के पास कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनायें हैं। इस समस्या का पक्का समाधान किया जाये और इस उद्देश्य हेतु श्रम शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिये। यह केवल आमूल भूमि सुधारों के द्वारा ही सम्भव है। इस समस्या के समाधान के लिये कार्यवाही करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। किन्तु लोगों को भी इसमें पहल करनी चाहिये ताकि सूखे और बाढ़ की इन समस्याओं के समाधान में जनशक्ति का उपयोग किया जा सके।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : हर वर्ष यह कहा जाता है कि ऐसी बाढ़ें पहले कभी नहीं आईं। लेकिन फिर भी इनके बारे में कुछ नहीं किया गया है। इस बार दक्षिण बिहार में भी इतनी बाढ़ें

[श्री एस० पी० भट्टाचार्य]

आई हैं कि कई पुल बह गये हैं और कई घर ढ़ह गये हैं। शायद बिहार सरकार उस क्षेत्र की बाढ़ स्थिति से पूर्णतया अवगत नहीं है। इसलिये उस क्षेत्र में हुई क्षति के लिये इसका कोई मुआवजा देने का विचार नहीं है। हम हमेशा अकाल के चंगुल में फंसे रहते हैं। लेकिन अब तक न तो भारत सरकार ने और न ही बिहार सरकार ने हमारे क्षेत्र में बाढ़ और सूखे की स्थिति की ओर कभी ध्यान दिया है। यह उचित समय है जबकि भारत सरकार बाढ़ नियन्त्रण उपायों के बारे में गम्भीरता से विचार करे और जल संसाधनों का रुख मोड़ने की कोशिश करे। भारत सरकार को देश की बाढ़ स्थिति के सम्बन्ध में पता होना चाहिये और उसे समूचे देश में बाढ़ नियन्त्रण के लिये एक वृहद् योजना तैयार करनी चाहिये। अल्पकालिक उपायों से हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा और वह समस्या का केवल अस्थायी समाधान ही होते हैं। हमें लोगों के जीवन की रक्षा करने के बारे में अधिक सोचना चाहिये तथा समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिये।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgoan): Mr. Chairman, drought is more devastating than floods. We can control floods by constructing dams on the rivers and thus generate power and provide water for irrigation. But what should we do in the case of drought?

Chhatisgarh region of Madhya Pradesh is very badly affected by drought. Paddy is grown in that area. If there is no rain, paddy crop is destroyed.

The Government should formulate a plan for controlling floods. This plan should be implemented expeditiously. There should be a body to keep a watch on the implementation of flood control schemes. This body should submit periodic reports about the progress made in the implementation of these schemes.

The people in Chhatisgarh area are in great difficulty. The Central Government should at least give Rs. 50 crores to this area so that some relief can be provided there.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : बिहार में बाढ़ों के आने का मुख्य कारण वे नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है और यही नदियां बाढ़ में खेतों से जल बहा करके ले जाती हैं जिसके फलस्वरूप सूखे की स्थिति पैदा होती है। हमने मिट्टी के तटबन्ध बनाने का प्रयास किया है। यदि ये तटबन्ध मजबूत भी हों, जो कि बहुत कम होते हैं, तो भी जल प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं जा सकता और दक्षिण में जल इतनी तेजी से आता है कि गंगा में बाढ़ आ जाती हैं और दक्षिण बिहार भी बुरी तरह प्रभावित होता है। मिट्टी के तटबन्ध तो केवल अस्थायी राहत प्रदान करते हैं। गत वर्ष दरभंगा में एक करोड़ रुपए के तटबन्ध बनाये गये थे। ये तटबन्ध बाढ़ों से बह गये। इस समस्या का समाधान है जो कि तकनीकी रूप से सम्भाव्य और व्यावहारिक है लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीतिज्ञों, इंजीनियरों और ठेकेदारों के अस्थायी कार्यों के चलते रहने में निहित स्वार्थों के कारण उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा।

1950 में कोसी नदी पर 18 लाख किलोवाट की क्षमता वाली बड़ा क्षेत्र बांध परियोजना तैयार की गई थी। इससे 38 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी तथा बाढ़ को पूर्णतः रोका जा सकता था। इसी प्रकार यदि कमला नदी पर सीसापानी बराज तथा बागमती नदी पर नूनटा बराज बनाये जाते तो न केवल वर्ष भर के लिये बाढ़ों और सूखे की स्थिति को पूर्णतया दूर कर दिया जाता अपितु बिहार और शेष देश के लिये बिजली भी सप्लाई की जा सकती थी।

जहां तक गंडक परियोजना का सम्बन्ध है, नहर के निर्माण का एक मुख्य भाग पूरा हो गया ह। एक बांध सप्तगंधकी के पास बनाया जाना चाहिये ताकि बाढ़ों को स्रोत पर ही रोका जा सके। जब यह तकनीकी रूप से सम्भाव्य और व्यावहारिक है तो इसे पूरा क्यों नहीं किया जाता ? यह बात

हमें समझ में नहीं आती । हमें अस्थायी उपायो को रोक देना चाहिये क्योंकि इन पर राष्ट्रीय धन बेकार जाता है और यह देश तथा जनता के प्रति एक प्रकार का अपराध है । बाढ़ और सूखे की समस्या का स्थायी समाधान खोजा जाना चाहिए ।

Shri Hari Singh (Khurja): This year a major portion of U.P. was affected by floods. My district was also badly affected.

Floods are a recurring feature. A permanent solution should be found to this problem. Steps should be taken to implement the recommendations of the flood control commission.

The U.P. Government have sent a ten year flood control plan to the Central Government. This plan will need an amount of Rs. 300 crores. If this plan is approved it will provide a great relief.

We should formulate a national flood policy, flood relief measures taken on *ad hoc* basis will not help.

Floods in Mathura have caused great havoc. Big bridges should be constructed on the rivers in this areas the small bridges are washed away by floods.

In western U.P. there was lot of damage due to water-logging. Proper drainage should be provided in the area which were affected by water logging.

People should not be allowed to build pucca houses on the banks of the river Jamuna or Ganga. Because of floods in these rivers, these people have to suffer a lot. The people should be allowed to put only temporary structures on the banks of these rivers.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : दक्षिण भारत और विशेषकर आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति से बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है । इस वर्ष विचित्र बात तो यह हुई है कि जुलाई में तो भारी वर्षा हुई परन्तु 1 सिम्तबर के बाद बिल्कुल वर्षा नहीं हुई । 2 महीने वर्षा न होने के कारण फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं । आपात स्थिति के बाद केवल किसानों को ही नुकसान हुआ है क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों के लाभप्रद मूल्य नहीं मिले । देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति चल रही है । मुझे खेद से कहना पड़ता है कि सरकार उनके लिये कुछ नहीं कर रही है । किसानों की सहायता के लिये राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि केन्द्र सरकार को देनी चाहिये ।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश को ठीक ही नदियों का राज्य कहा है । लेकिन पोचमपाड़ परियोजना, नागार्जुन सागर, सोमासिला परियोजना, श्री सेलम परियोजना, बसु धारा परियोजना धनाभाव के कारण पूरी नहीं की जा सकीं । हमने केन्द्र सरकार से अपेक्षित राशि की स्वीकृति देने के लिये कहा है क्योंकि इससे केवल आंध्र प्रदेश को ही नहीं अपितु सारे देश को लाभ होगा । देश का हित इसी में है कि केन्द्र सरकार हमारी सहायता करे । हमें यह राशि मिलनी ही चाहिये ।

Shri Sukhdev Prasad Verma (Nawada): Floods have become a normal feature in our country and so, serious thought has to be given to find out a permanent solution of this problem. The districts of Gaya and Aurangabad could have been saved from ravages of floods if t he pending schemes for construction of reservoirs were completed well in advance. Such Schemes should be implemented immediately as these will provide a permanent solution of the problems of floods and drought. The district of Nawada has been included among chronic drought-prone areas. But Government have not given a single pie for schemes pending there. Government should take up the schemes for meeting the problems of floods and drought under their control and should not leave them at the mercy of states. Geological survey of underground water in drought prone areas should be immediately under taken and measures should also be taken to utilise it for the purposes of irrigation.

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : सभापति महोदय, इस देश के लिए अकाल और सूखे की स्थिति नई नहीं है । पर इस वर्ष कर्नाटक की स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण रही है कि तालाबों और कूओं में भी पानी नहीं रहा है कि आरम्भिक खेती की जा सके । वर्षा न होने से रबी और खरीफ दोनों फसलों को हानि हुई है । जब तक कोई मुख्य मंत्री केन्द्र को न लिखे तब तक वहां कोई सर्वेक्षण दल नहीं भेजा जाता, इससे कठिनाई होती है । मुख्य मंत्री यह सोचते हैं कि बाढ़ या अकाल का मुकाबला करने के लिए उन्हें जो केन्द्रीय सहायता मिलती है, वह अगली योजना के नियतन में से ही होगी। यदि ऐसा है तो केन्द्रीय सरकार बाढ़ और अकाल के लिए विशेष रक्षित निधि क्यों नहीं बनाती? छठे वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में बनाये गये पुराने विनियम पर विचार करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिये ।

इस मद के लिए अलग से राशि निर्धारित की जानी चाहिये अन्यथा जान-माल की हानि बाढ़ से होती रहेगी। कर्नाटक में 20 प्रतिशत लोग अत्यन्त निर्धन हैं जिनकी आय 40 पैसे से 1 रुपया प्रतिदिन है । इसके अलावा 20 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ या उससे भी कम भूमि है । कर्नाटक सरकार ने 21 करोड़ रुपये सहायता की मांग की थी और जो दल पहले गया था उसने 7 करोड़ रुपये की जरूरत का अनुमान लगाया । उस पर भी केवल $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये ही दिये गये । भूखे हाथी को 6 पैसे का दूध क्या पर्याप्त होगा । अब कर्नाटक सरकार ने 50 करोड़ रुपये की मांग की है । यह उसकी कम से कम जरूरत है ।

कर्नाटक में चल रही सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जानी चाहियें । यदि ऐसा हो जाये तो कम से कम 5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी । लोगों को स्थायी राहत भी मिलेगी । दूसरे लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने का काम भी पर्याप्त धन की व्यवस्था करके तेज किया जाना चाहिये ।

कर्नाटक में एक अन्य दल भेज कर लोगों की जरूरतों का पता लगाया जाये । वहां सारे राज्य में अकाल पड़ा है । लोगों के पास खाने को भोजन नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं । हमें अकाल और सूखे से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए नौकरशाही के रवैये में परिवर्तन करना होगा ।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : भारत के कुछ भागों में बाढ़ आती है तो अन्य भागों में सूखा पड़ जाता है । भारत की ये दो मुख्य समस्याएं हैं । सरकार को इस के लिए दीर्घकालीन उपाय करने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

पिछली कई दशाब्दियों से हमारे विशेषज्ञ और राजनीतिज्ञ गंगा-कावेरी-कन्याकुमारी परियोजना को पूरा करने की मांग करते आ रहे हैं । यदि इसे पूरा कर दिया जाये तो भारत में सूखे और बाढ़ की समस्या हल हो जायेगी । इसके साथ ही पेय जल की समस्या भी सुलझ जायेगी । सिंचाई की कमी दूर करने में भी सहायता मिल जायेगी । राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी यह योजना अति महत्वपूर्ण है । इसलिए इस योजना को यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाये । विश्व बैंक ने इस परियोजना को सिद्धान्त रूप में मान लिया है और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है । फिर सरकार इसे तुरन्त हाथ में क्यों नहीं ले रही ।

तमिलनाडु में रामनाड और मदुरै जिले में स्थायी तौर पर सूखे की स्थिति बनी रहती है । इस समय डिंडीगल और रामनाड के मुडुकुलाथ्योर क्षेत्र में पेय जल भी उपलब्ध नहीं । भारत सरकार

ने सूखा राहत कार्य के लिए साढ़े सात करोड़ रुपये का अनुदान दिया है जो अपर्याप्त है । इस संकटपूर्ण स्थिति का मुकाबला करने के लिए तमिलनाडु को कम से कम 50 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिएं । तिरुचि, मदुरै और तिरुनेलवेली जिलों में स्थित नदियां सूख गई हैं । भारत सरकार को चाहिए कि नदी जल समस्या को समवर्ती सूची में शामिल करे। इस समस्या का हल राज्य सरकारों पर न छोड़ कर स्वयं भारत सरकार को करना चाहिये ।

भारत सरकार को कावेरी और गोदावरी, कृष्णा तथा नर्मदा जल समस्याओं को हल करना चाहिये। पूरे तमिलनाडु राज्य में सूखे की स्थिति है किन्तु सरकार किसानों से उनके पशु और औजार आदि जब्त करके कर्ज वसूल कर रही है । अत: राज्य सरकार को यह हिदायत दी जाये कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा समितियों से लिए गए ऋणों की वसूली रोक दी जाये। राज्य सरकार को यह आदेश दिया जाये कि वह इस वर्ष लगान की वसूली न करे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांखी (जालोर) : भारत मूलत: एक कृषि प्रधान देश है । देश भर में अलग-अलग प्रकार के जलवायु मिलते हैं। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है । यह तो 12 मासी समस्या है । इस समस्या से निबटने के लिए छठे वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए एक निश्चित राशि का नियतन किया है पर यह राशि अपर्याप्त है । इससे प्रभावी राज्यों की समस्या हल नहीं होगी ।

दुर्भाग्य से केन्द्र समझता है कि यह राज्यों की समस्या है । लेकिन यह एक स्थायी समस्या है । पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों से पूरे परिव्यय का 25% केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता था । पर अब इस तरीके में परिवर्तन कर दिया गया है । इससे तो समस्या हल नहीं हो सकती । राज्यो में जब भी प्राकृतिक प्रकोप हो तो राहत कार्यों को बेहतर ढंग से लागू करने और राज्यों को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी केन्द्र को कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ।

राजस्थान में अक्सर सूखा पड़ता रहता है । वहां लोग सूखे के समय घर-बार छोड़ कर चले जाते हैं और फिर सामान्य परिस्थितियों में लौट आते हैं । पर पिछले तीन वर्षों से वहां बाढ़ आ रही हैं । वहां जलवायु की स्थितियों में परिवर्तन आ गया लगता है । वैज्ञानिकों को इस परिवर्तन के कारणों का पता चलाना चाहिये । मंत्री जो इस बारे में वक्तव्य दें । आम आदमी यह समझता है कि पोखरान में हुए आणविक विस्फोट के कारण ऐसा हुआ है। राजस्थान में इस स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाये ।

गत वर्ष ऋतु में जयपुर सिटी के साथ रेल और सड़क के मार्ग से सम्पर्क नहीं रहा था। भारी वर्षा के कारण रेल लाइनें बह गईं और सड़कें टूट गईं थीं । इससे राज्य को 2.50 लाख रुपये की फसल और 12 करोड़ रुपये की अन्य हानि उठानी पड़ी । राज्य सरकार ने इस हानि पूर्ति के लिए 18 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

राजस्थान नहर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना है । रक्षा और सामरिक दृष्टि से भी इस नहर का बहुत महत्व है । यह युद्ध के दिनों में हमारी रक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । सीमावर्ती राज्य में हम लोगों को अधिक संख्या में बसा सकेंगे और वहां की सूखे तथा बाढ़ की समस्या भी हल हो सकेगी ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : हमारे देश में सम्पन्नता के साथ-साथ गरीबी भी है । साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है, बाढ़ और सूखे की समस्याएं भी हैं । उड़ीसा भी ऐसा ही राज्य

है जहां ये प्राकृतिक आपदायें आती रहती हैं । चालू वर्ष में भी भयंकर सूखे की स्थिति चल रही है क्योंकि वर्षा बहुत कम हुई है ।

राज्य सरकार की इस बारे में प्रशंसा करनी होगी कि पूजा की छुट्टियों के बावजूद भी उसने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के पूरे 13 जिलों में स्थिति का अनुमान लगाने के लिए नियुक्त किया । उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ठीक समय पर उपाय किये हैं ।

लेकिन इस समस्या से विस्तृत क्षेत्र प्रभावित है और समस्या विशाल है । अकेली राज्य सरकार संतोषजनक ढंग से उसका मुकाबला नहीं कर सकती । वर्षा की कमी के कारण जलाशयों में पानी कम हो गया है और बड़ी, छोटी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं ।

इस स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वहां एक केन्द्रीय दल भेजा जाये । शायद इस बारे में निर्णय लिया भी जा चुका है। अस्थायी रूप से सहायता करने के साथ-साथ केन्द्र सरकार सुवर्णरेखा जैसी परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य भी करें ताकि उड़ीसा के लोगों को स्थायी रूप से राहत प्रदान की जा सके । केन्द्र राज्य सरकार की वित्तीय सहायता करे तो यह काम हो सकता है ।

इसी प्रकार भीमकुंड परियोजना का कार्य भी 5-6 साल से लटका हुआ है । केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग उस पर विचार कर रहा है । इस परियोजना को पूरा किये बिना उड़ीसा राज्य की समस्या नहीं सुलझ सकती । आप इस ओर ध्यान दें ।

Shri Jagdish Narain Mandal (Godda): Sir, Bihar state has also been badly affected by floods. This time even the south Bihar has experienced the fury of floods causing damage to crops and property worth millions of rupees. No doubt the Central Government have rendered considerable assistance but they should try to save the rabi crops. The Centre should provide seeds, fertilizers etc. to the poor farmer.

A large part of the Santhal Pargana area has suffered because of severe drought. The Common man is not getting drinking water. There is no water in wells. In the absence of rains it is not possible to raise crops. We can help the poor by opening fair price shops and by starting other relief works.

The Whole of the area is affected by floods. Government should provide immediate help to the people there.

The Kahalgaon Ganga Lift Irrigation scheme should be completed early. It will irrigate lakhs of acres of land in Bagalpur and Santhal Pargana.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): This year's floods were unprecedented and had affected large areas of North Bihar *viz.*, Chapra, Sarang, Vatshabi, Samastipur, Katihar etc. The recent embankment on the West of Ganga saved Patna but the flood waters had spilled out to north and caused devastation. I will therefore, suggest that Berwa Dam should be repaired immediately.

Arrangements should be made for dredging big rivers like Koshi, Old Gandak, Narayadin and Ganga etc. regularly so that sedimentation in their beds, which is also a factor causing floods could be avoided.

Crops insurance should be provided to flood affected areas of Bihar. Some Solution should be found for saving the crops from floods and droughts.

Ganga flood Control Commission was constituted in 1971. Proper watch should be kept on its functioning so that the Commission could function effectively.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr): This year in eastern U.P. due to heavy rains all the crop washed away.

Uttar Pradesh is rich in water and power resources. But these valuable resources have not been adequately exploited. If these vast resources of water and power could be adequately tapped, Uttar Pradesh could not only be self-sufficient but surplus state so far food and power are concerned.

Floods water has caused serious harm to sugar cane crops of eastern U.P. This is a valuable crop of our State and should be saved from recurring onslaught of floods.

Arrangements should be made to collect rain water in tanks, and ponds etc. So that it can be used during dry seasons.

Centre has to provide money for flood protection and irrigation schemes. I will, therefore, suggest that flood control, power and irrigation etc. should be brought under Central Control.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa): Bihar has suffered a lot on account of recurring of floods. The state Government with the assistance of the Centre and of its own has done its best to meet the situation. But the people have got very little relief if the huge loss they suffered was taken into account.

This year 6,50,000 hectare area has been affected by floods. The Bihar Government need Rs. 400 crores for flood control measures and Rs. 25 crores for repair of Public buildings. The Bihar Government do not have so much money. The Centre should help the State liberally.

Kosi river has been causing havoc in a vast area of Bihar. Kuthar Dam Project should be executed. Dagmara Barrage should also be constructed. Till these projects are implemented there should be dredging of the bed of the river.

Three hundred villages between the embankments remain badly affected. This year in August there was a boat tragedy in which 150 people died. The Government should take measures for permanently rehabilitating these people.

Shri K. Ramakrishna Reddy (Nalgonda): Andhra Pradesh, especially Rayalseema and Telengana areas are in the grip of severe drought. Even drinking water is not available.

Godavari Barrage has breached and crores of rupees were required to repair that Barrage. The Central Government should help the Andhra Government to carry out this repair.

Adequate funds should be provided for the construction of Bibinagar-Nadikuda railway line. This work will provide work for the workers of the drought affected areas.

Special attention should be paid to minor irrigation and lift irrigation so as to help in the work of Famine relief.

The Central Government should send a team to assess the situation in Rayalseema and Telengana areas and adequate funds should be provided to the state Government to provide relief to the people.

Pochampad and Nagarjun Sagar Projects should be taken over by the Centre. Then it will be possible to implement these projects.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi): Bagmati Irrigation Project has been undertaken but Bagmati river has changed its course and this has caused loss worth crores of rupees. The Minister should visit that area and see the situation, so that necessary measures are taken to meet the situation.

A kachcha dam has been built on Bagmati river near Narainpur village. It is said that Rs. 8 lakhs have been spent in 15 days. The fact is that only 50 to 60 thousands rupees have been spent. A high level inquiry committee should be appointed to investigate the whole matter.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : इस बीच देश के एक बड़े भाग में बाढ़ और सूखा पड़ा। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि इस सम्बन्ध में वह अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों की मदद ले।

अमरीका, रूस और जापान जैसे देशों ने बाढ़ और सूखा के होने का पहले पता लगाने में अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों की मदद का लाभ उठाया है।

बाढ़ रोकने के लिए स्वैच्छिक श्रम के द्वारा हम बांध आदि बना कर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चीन में ऐसा हुआ है। हमारे देश में स्वैच्छिक श्रम की भावना जगा कर श्री संजय गांधी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

सुवर्ण रेखा के जल विवाद को शीघ्र हल किया जाये। सुवर्ण रेखा के बाढ़ के पानी को निकालने की योजना संघ सरकार की मदद से उड़ीसा सरकार शुरू करे तथा इस समस्या को हल करे।

मेरे राज्य के 13 जिले सूखाग्रस्त हैं, इनमें मुश्किल से 20 प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है। राज्य सरकार के पहल करने पर ही इस समस्या को हल किया जा सकता है और लोगों को विपत्ति से बचाया जा सकता है। सब यह जानते हैं कि सूखा और बाढ़ की समस्या एक जीवन्त समस्या है, फिर वे इस सम्बन्ध में जागरुक क्यों नहीं रहतीं ?

बालासोर के तूफान से प्रभावित लोगों को एक लाख रुपये राष्ट्रीय सहायता निधि से देने के लिए मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं।

यह समस्या छोटी समस्या नहीं है। बड़ी नदियों को नियंत्रण में करना एक बड़ा काम है। फिर हमें भूमिगत जल का उपयोग करने पर भी विचार करना चाहिए। यदि इसका हल निकल आता है तो मुझे विश्वास है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था सुधर जायेगी।

Shri R. P. Yadav (Madhepura): Bihar is affected by recurring floods every year. Other parts of the Country also suffer on account of floods. I don't know what our Government and scientists are doing. If the big rivers are linked I think this yearly calamity can be stopped.

Lastly I would like to submit that the Government should draw up an integrated plan to control floods in the country.

श्री पी० गंगादेव (अगुल) : इस वर्ष उड़ीसा में सूखे से इतनी जबर्दस्त हानि हुई है कि पश्चिमी जिले त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है। उड़ीसा भारत का सबसे अविकसित राज्य है। इसकी प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है और इस पर प्राय: हमें बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है। क्या हमें इस सब के लिए प्रकृति को दोषी ठहराना चाहिए अथवा इन आपदाओं को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए ? उड़ीसा राज्य की मानवीय सम्पत्ति पर विचार करने हेतु एक निष्पक्ष जांच समिति बनानी चाहिए और उड़ीसा राज्य के साथ परामर्श करके एक संतुलित योजना तैयार करनी चाहिए। समिति को केवल संसाधनों के विकास को ही सुनिश्चित नहीं करना चाहिए अपितु उनका न्यायिक वितरण भी करना चाहिए। आशा है केन्द्र सरकार मेरे सुझाव पर अविलम्ब कार्यवाही करेगी।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। इतने अधिक सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग लेना इस बात का द्योतक है कि सदस्य देश की सूखे तथा बाढ़ की समस्या के प्रति काफी चिन्तित हैं।

माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिये हैं प्रत्येक सुझाव का उत्तर देना तो मेरे लिए संभव नहीं है लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मंत्रालय प्रत्येक महत्वपूर्ण सुझाव पर भली भांति विचार करेगा।

बाढ हमारे देश की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या है। सरकार 1954 से इस समस्या को हल करने में लगी हुई है और तब से अब तक हम ने बाढ़ नियंत्रण की दिशा में काफी कार्य किया है। देश भर में कई बांध बने हैं जिनसे बहुत लाभ हो रहे हैं लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। बाढ़ की समस्या बहुत विकट है। इसे हल करने के लिए श्री हाथी की अध्यक्षता में गंगा बाढ़ नियंत्रण समिति और ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण समिति और बाढ़ सम्बन्धी राष्ट्रीय निगम बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस समस्या को कितना महत्व दिया जा रहा है। सदन हमारी कठिनाइयों से भली भांति अवगत है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह कार्य नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। इन बांधों के निर्माण पर अथाह धनराशि लगती है और हमें अपने सीमित संसाधनों के द्वारा ही सब कार्य पूरे करने पड़ते हैं। हम बाढ़ों पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं।

इस वर्ष देश विभिन्न भागों में मुख्यत: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और आसाम में बाढ़ से काफी क्षति हुई है। लगभग 83 लाख हैक्टयर भूमि पर इसका प्रभाव पड़ा है। 12 लाख मकानों को क्षति पहुंची है। क्षतिग्रस्त मकानों का मूल्य 48 करोड़ रुपये के लगभग है। विभिन्न राज्यों ने 450 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है जोकि बहुत बड़ी धन राशि है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि छठे वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य को कुछ सीमांत धन आवंटन की नीति बनाई है। उत्तर प्रदेश के कुछ सदस्यों ने शिकायत की है कि सीमांत धन के आवंटन में उनके राज्य के साथ न्याय नहीं किया गया है। हम ने 1956–57 से 1971–72 तक के पिछले 15 वर्षों में बाढ़ सहायता कार्यों में जो धन खर्च किया था उसका औसत निकाल लिया है और उस औसत के हिसाब से सीमांत धन दिया है। अत: उत्तर प्रदेश के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ।

केन्द्रीय दल ने सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ आते ही राज्य सरकारों ने केन्द्र के पास ज्ञापन भेजे। ज्ञापन प्राप्त होते ही केन्द्रीय दल उन राज्यों में गया और उसने उच्च शक्ति प्राप्त समिति के पास अपनी सिफारिशें भेजीं। किन्तु केन्द्र की सहायता की प्रतीक्षा किये बिना राज्य अपने सीमान्त धन से राहत कार्य आरम्भ कर सकते थे।

अनियत और अनिश्चित वर्षा के कारण बहुत से राज्य सूखे से प्रभावित हुए हैं। हम ने अभी मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था और मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कुल मिला कर स्थिति इतनी चिन्ताजनक नहीं है जितनी कि बताई गई है। कर्नाटक और केरल के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम हुई लेकिन अन्य स्थानों पर वर्षा सामान्य हुई और मुख्य मंत्रियों ने हमें बताया यद्यपि फसल इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि पिछले वर्ष थी फिर भी देश की स्थिति कुल मिला कर संतोषजनक है। हमारे पास काफी स्टाक है और हर राज्य में फालतू स्टाक है। हमारे गोदाम हर जगह भरे हुए हैं और हम स्थिति का सामना करने में पूर्णतया समर्थ हैं। बाजार में खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध है। सरकारी वितरण प्रणाली पर अब दबाव कम है।

सूखा हमारे जीवन का अंग बन गया है। कुछ क्षेत्रों में तो शताब्दियों से सूखा पड़ रहा है। हमारा प्रयास यह है कि वर्षा पर निर्भरता को कम से कम किया जाये। हम ने ऐसे क्षेत्रों में जहां

प्रायः सूखा पड़ता है 75 परियोजनाएं आरम्भ की हैं और केन्द्र सरकार 180 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और इतनी ही धनराशि राज्यों से और बैंकों से ऋण द्वारा उपलब्ध होगी, हम इन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और वहां सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रायलसीमा क्षेत्रों में जहां कि नलकूप नहीं लगाये जा सकते हम ने अन्य देशों के सहयोग से ग्रनाइट चट्टानों पर छिद्रण किया है और हमें उस क्षेत्र में काफी पानी मिला है। हमारी कोशिश यह है कि हम सभी उपलब्ध भूमिगत जल का पूरा-पूरा प्रयोग करें। हमारा प्रयास होगा कि सभी फालतू जल को अपने कब्जे में लिया जाये और इसका प्रयोग उस समय किया जाये जब देश में जल की कमी हो। देश में कई प्रकार के रिगों का निर्माण किया जा रहा है जो कठोर से कठोर चट्टान में छिद्रण करने में समर्थ होंगे।

हमारी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधान मंत्री ने 50 लाख हैक्टयर भूमि की सिंचाई बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं और 60 लाख हैक्टयर भूमि की सिंचाई छोटी सिंचाई योजनाओं से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम आशा करते हैं कि इस योजना में और आगामी योजना में कम से कम एक करोड़ हैक्टयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

74 जिलों में 74 सूखा क्षेत्र परियोजनाएं चल रही हैं। इन उपेक्षित सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास की ओर हम समुचित ध्यान दे रहे हैं। इन क्षेत्रों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, इसका हम पता लगा रहे हैं। उदाहरणार्थ हम वहां रेशम उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। रांची में शैलाक का विकास किया जा रहा। सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता हेतु भारतीय सेना ने जो सराहनीय कार्य किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

मेरे माननीय मित्र डा० के० एल० राव ने कई उपयोगी और महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। हम उन सुझावों का क्रियान्वयन करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।

आरोप लगाये गये हैं कि राहत कार्यों के लिए आवंटित धन का सही उपयोग नहीं किया गया है। हम इसकी छानबीन करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। लेकिन इन धनराशियों पर नियंत्रण रखने का काम राज्यों को सौंपा गया था। वहां जो धनराशि व्यय की गई उन पर उचित निगरानी रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी।

मैं अपने राजस्थान क्षेत्र के मित्र की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि राजस्थान नहर देश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है और खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त करना इस नहर के पूरा होने पर निर्भर है। हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार इसे शीघ्र पूरा करने की कोशिश करेगी। केन्द्र सरकार निसंदेह इस कार्य में अधिकाधिक सहायता करेगी।

हम विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहेंगे क्योंकि उन्हीं पर देश की खुशहाली और समृद्धि निर्भर है। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष हमने खाद्यान्नों का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया है। उम्मीद है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जिसमें हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़े। बाढ़ और सूखे के बावजूद भी हम आशा करते हैं कि हम देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की उपज कर सकेंगे।

जहां तक प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय दल भेजने का संबंध है इसके लिए पहले प्रभावित क्षेत्रों को हमें एक ज्ञापन भेजना होगा। ज्ञापन प्राप्त होने पर हम केन्द्रीय दल वहां भेजेंगे।

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लि स्थगित् हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

म० प्र० भा० स० मु०—लो० स० III—2178 एल० एस०—15-12-76—200

L.S. 48. LXV. II. 76(N)
200

© 1976 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित ।

© 1976 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi-110002.